सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की
निष्पादन लेखापरीक्षा

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

हरियाणा सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की
निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा सरकार

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii-x
अध्याय 1		
संक्षिप्त अवलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1-2
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की विभिन्न प्रक्रिया	1.2	3
संगठनात्मक संरचना	1.3	3-4
राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति	1.4	4-6
योजनाओं का चयन	1.5	6-7
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लाभों के संवितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया	1.6	7-10
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.7	10
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	1.8	10
लेखापरीक्षा मानदंड	1.9	11
लेखापरीक्षा पद्धति	1.10	11
लेखापरीक्षा परिणाम	1.11	11-12
आभारोक्ति	1.12	12
अध्याय 2		
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए पुन:अभियंत्रण प्रक्रिया		
सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए प्रलेखन तैयार न करना	2.1	13-14
पेंशन लाभों के संवितरण में विलंब	2.2	15-16
लाभार्थियों के विलंब से नामांकन के कारण वांछित लाभ प्रदान करने में विलंब	2.3	17-18
लाभार्थियों के नामांकन में विलंब से सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होना	2.4	19
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संवितरण के लिए विशिष्ट समय-सीमा का पालन न करना	2.5	19-20
मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का अंतरण	2.6	20-23
पेंशन डाटाबेस में लाभार्थियों की आय का अद्यतन न होना	2.7	23-24
लाभार्थियों के मास्टर डाटाबेस के डिजिटलीकरण में कमी	2.8	24-25
एक ही आधार नंबर पर कई लाभार्थियों को संवितरित पेंशन	2.9	25-27
दो योजनाओं के अंतर्गत एक साथ लाभ देकर अनुचित लाभ	2.10	27-28
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में लाभार्थियों की पेंशन का अंतरण	2.11	28-29
अपात्र लाभार्थियों को भुगतान	2.12	29

	अनुच्छेद	पृष्ठ
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण	2.13	29-31
पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण	2.14	31-32
अपूर्ण लिगेसी डाटा की पोर्टिंग	2.15	32-34
सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति का अभाव	2.16	34-35
उपयोगकर्ताओं/कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अभाव	2.17	35
व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा वसूली योजना न होना	2.18	35
कमजोर पहुंच नियंत्रण	2.19	35-36
सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में मिसिंग ऑडिट ट्रेल्स	2.20	36
एक ही दिन में अनेक लाभार्थियों का अनुमोदन	2.21	36-37
बैंकों और डाकघरों को कमीशन का अनियमित भुगतान	2.22	37-38
राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर बचत डाटा का अद्यतन न होना	2.23	38
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा न करना	2.24	38
निष्कर्ष	2.25	38-39
सिफारिशें	2.26	39-40
अध्याय 3		
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की आधारभूत संरचना, संगठन और प्रबंधन		
सभी विभागों की सभी योजनाओं पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन न होना	3.1	41-42
सलाहकार बोर्ड की त्रैमासिक बैठक का आयोजन न करना	3.2	42-43
राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का डाटा साझा न करना	3.3	43-44
सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल न करना	3.4	44-45
निधियों के अंतरण के संबंध में निर्देश की अनुपालना न करना	3.5	45-46
निष्कर्ष	3.6	46
सिफारिशें	3.7	46
अध्याय 4		
निष्कर्ष		
निष्कर्ष		47-48

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	भुगतान स्थिति क्षेत्र	2.2 (क)	49-50
II	लेन-देन हेतु लिया गया समय	2.2 (ख)	51
III	लाभार्थियों के देरी से नामांकन के कारण अभिप्रेत लाभ प्रदान करने में विलंब	2.3	52
IV	एक ही आधार नंबर पर कई लाभार्थियों को पेंशन संवितरण	2.9	53

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 तथा लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 के अनुसार तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के गठन एवं कार्यप्रणाली और अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित पेंशन योजनाओं को शामिल करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

सरकार की ओर से लोगों को लाभ की बेहतर और समयबद्ध सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सरकार की एक प्रमुख सुधार पहल है। यह वेतन भुगतान, ईंधन सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी आदि जैसे लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने, उनके रिसाव को दूर करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की प्रक्रिया में आदर्श बदलाव का प्रतीक है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत तत्कालीन योजना आयोग द्वारा की गई थी (जनवरी 2013) और बाद में इसे व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था (जुलाई 2013)। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन को सितंबर 2015 में कैबिनेट सचिवालय के अधीन लाया गया था। राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल सितंबर 2017 में आरंभ किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की अवधारणा और इसका क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में विकसित हो रहा है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यह निर्धारित करता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना की जानी चाहिए ताकि मध्यस्थ स्तर, अभिप्रेत लाभार्थियों को भुगतान में देरी, चोरी तथा दोहराव को कम किया जा सके। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

हरियाणा में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार, जून 2016 में वित्त विभाग के अधीन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष का गठन किया गया था और एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के लिए लाभ अंतरण सूचना और गतिविधियों को एकत्रित करने के लिए सितंबर 2017 में राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल बनाया गया था। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल के साथ एकीकृत है।

विभाग राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर लागू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन कर रहे हैं। यदि विभाग द्वारा किसी नई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की पहचान की जाती है तो विभाग के अनुरोध पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा उसे राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। संबंधित विभाग उन योजनाओं का वर्गीकरण/पहचान करते हैं जिन पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू किया जाना है और पहचान की गई योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया की पुनर्रचना की गई थी ताकि मध्यस्थ स्तर को कम किया जा सके, इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी, चोरी और दोहराव को कम किया जा सके; और क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की मूलभूत संरचना, संगठन एवं प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था।

निष्पादन लेखापरीक्षा 01 अप्रैल 2017 से 31 जुलाई 2020 की अवधि को शामिल करते हुए मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवृत किया। आंकड़ों के विश्लेषण पर देखे गए निष्कर्षों का सत्यापन हरियाणा के छः जिलों के चयनित नमूने में किया गया था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम

योजना में लाभार्थियों के नामांकन में एक दिन से 963 दिनों के मध्य विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और लाभार्थियों को आय सहायता योजनाओं के रूप में कार्य करने के लिए योजनाओं के उद्देश्यों से समझौता किया गया था।

(अनुच्छेद 2.4)

विभाग समय पर मृत लाभार्थियों की पहचान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मृत लाभार्थियों के खाते में ₹ 98.96 करोड़ की पेंशन अंतरित की गई।

(अनुच्छेद 2.6.1)

लक्षित लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विरासती डाटा के अपूर्ण एवं गलत डिजिटलीकरण के कारण लाभार्थी खातों को आधार नंबरों से जोड़ने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.8 एवं 2.9)

संवितरण निगरानी तंत्र अनुपस्थित था जिसके कारण दो योजनाओं, अर्थात् वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, में एक ही लाभार्थी को कई पेंशन भुगतानों का संवितरण या दोहरा भुगतान हुआ। जिला समाज कल्याण अधिकारी लाभार्थियों की पहचान करने, उनकी पात्रता की स्थिति को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थे कि सही लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण किया जा रहा है।

(अनुच्छेद 2.10)

दो योजनाओं, अर्थात् वृद्धावस्था सम्मान भत्ता तथा विधवा एवं निराश्रित पेंशन, में ₹ 54.54 करोड़ की पेंशन सही लाभार्थियों के खाते के बजाय विभिन्न बैंक खातों में अंतरित की गई थी।

(अनुच्छेद 2.11)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी संवितरित किया गया जो योजनाओं के नियमों के विरुद्ध था।

(अनुच्छेद 2.13)

0.38 लाख लाभार्थियों, जिनकी स्थिति को बैंकों ने पता न लगाए जाने वाले के रूप में दर्शाया था, को ₹ 64.13 करोड़ की राशि की पेंशन अंतरित की गई थी।

(अनुच्छेद 2.14)

अनुरक्षित डाटा में 5.56 लाख लाभार्थियों से संबंधित ऑडिट ट्रेल्स गायब थे। ऑडिट ट्रेल्स के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कब और किस आईपी एड्रेस से और किसके द्वारा उनका नामांकन किया गया था। इसके अलावा लाभार्थी आईडी अनुक्रम में अंतर था और मास्टर डाटाबेस में लाभार्थियों के अभिलेख नहीं थे।

(अनुच्छेद 2.15.3 एवं 2.20)

28 विभागों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के उपयुक्त योजनाओं की पहचान नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.1)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर दर्शाई गई योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अंतरित राशि और बचत के संबंध में डाटा पूर्ण नहीं था क्योंकि कृषि विभाग ने कोई सूचना प्रदान नहीं की और राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर बचत सहित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डाटा भी अपलोड नहीं किया था।

(अनुच्छेद 3.3)

सिफारिशें

- सही लाभार्थियों के खातों में भुगतान के अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार आधार पोर्टल के साथ लिंगेसी लाभार्थियों के आधार नंबरों के प्रमाणीकरण के लिए उचित प्रणाली विकसित कर सकती है।
- सरकार/विभाग इसकी पूर्णता, प्रामाणिकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लिंगेसी डाटा सहित लाभार्थियों के डाटा की व्यापक समीक्षा कर सकता है।
- सरकार/विभाग लाभार्थियों के आवेदनों की संवीक्षा, वैधता और सत्यापन प्रक्रिया और लाभ के सही खाते में अंतरण के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करे। राज्य पेंशनभोगी डाटाबेस तक पहुंच प्राप्त की जानी चाहिए और लाभार्थियों के नामांकन से पहले क्रॉस सत्यापन किया जाए।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अलावा सॉफ्टवेयर को विभिन्न एजेंसियों से जोड़कर मृत व्यक्तियों को पेंशन के संवितरण से बचा जाना चाहिए। लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से वित्तीय सहायता के भुगतान जैसी सूचना प्रसारित करने की प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए।
- सरकार प्रभावी निर्णय लेने और पर्यवेक्षण के लिए वास्तविक समय निगरानी तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है। यह पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों के संबंध में पेंशन की असंवितरित राशि का आकलन करने और अनधिकृत लाभार्थियों की पेंशन बंद करने

और इन मामलों में विभाग के खाते में राशि वापस करने और लाभार्थियों को नियमित एसएमएस द्वारा जानकारी के लिए सूचना प्रणाली विकसित करने में सहायता करेगा।

- जब भी नई प्रणाली का विकास किया जाता है, विभाग अपेक्षित दस्तावेजों (उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश, सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश, विस्तृत डिजाइन दस्तावेज, आदि) की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है।
- राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर सभी लागू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं की पहचान और बोर्डिंग, लाभार्थियों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के बाद अर्जित बचत के लिए उचित प्रणाली विकसित कर सकती है।
- राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता के लिए जिम्मेदारी तय करने के अलावा सहायता के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली को प्रभावित करने के लिए सख्त प्रयास कर सकती है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष यह सुनिश्चित करे कि दिशानिर्देशों में परिकल्पना के अनुसार समय-समय पर सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है।

अध्याय 1

संक्षिप्त अवलोकन

अध्याय 1

संक्षिप्त अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लोगों को सरकार द्वारा बेहतर और समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख सुधार पहल है। यह वेतन भुगतान, ईंधन सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी जैसे लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने, लीकेज को दूर करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने अर्थात बिना बैंक वाले क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार और पूरे देश में बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।

प्रौद्योगिकी सक्षमता के एक कदम के तौर पर, नकद अथवा वस्तु के रूप में अंतरित किए सभी लाभ, एकत्रीकरण वेब-इंटरफ़ेस के भाग के रूप में कैप्चर तथा पर्याप्त रूप से वर्णित किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल **(https://dbtbharat.gov.in)** को देश में सभी सूचनाओं के लिए एक राष्ट्रीय एग्रीगेटर के रूप में अवधारित तथा विकसित किया गया है।

1.1.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की कल्पना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की कल्पना में एक शासन व्यवस्था शामिल है जो सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल सरकार से लोगों के बीच इंटरफेस सुनिश्चित करती है तथा पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों को निष्पक्ष, पारदर्शी, कुशल तथा विश्वसनीय तरीके से सीधे हकदारी प्रदान करती है। इसके अलावा, यह विभिन्न समाज कल्याण लाभार्थी योजनाओं में सरकार द्वारा एक प्रमुख सुधार पहल थी।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है

- सटीक लक्ष्यीकरण
- डी-डुप्लिकेशन
- धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार कम करना
- सूचना तथा निधियों के प्रवाह के लिए योजनाओं के पुन: अभियंत्रण की प्रक्रिया
- अधिक जवाबदेही
- सब्सिडी में बर्बादी को समाप्त करना

1.1.3 सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रावधान

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 87 निर्धारित करता है कि

(1) विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लाभार्थियों को सीधे लाभ का अंतरण किया जाना चाहिए। सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए चोरी और दोहराव को कम करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती स्तरों को कम करने तथा इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी को कम करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पुनःअभियंत्रण किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए।

(2) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में विशिष्ट लाभों का अंतरण और लाभार्थियों को नकद अंतरण के साथ-साथ योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकारी योजनाओं के विभिन्न समर्थकों जैसे सामुदायिक कार्यकर्ताओं आदि को किए गए अंतरण/मानदेय शामिल होने चाहिए।

(3) मंत्रालयों/विभागों से नकद लाभों का अंतरण किया जाना चाहिए:

क) मंत्रालयों/विभागों से सीधे लाभार्थियों को;

ख) राज्य ट्रेजरी खाते के माध्यम से; अथवा

ग) केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।

1.1.4 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की पूर्व-आवश्यकताएं

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मुख्य उद्देश्य वैध लाभार्थी को सही खाते में और सही समय अर्थात् बिना विलंब से भुगतान का प्रत्यक्ष प्रसंस्करण और क्रेडिट की सुविधा प्रदान करना है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की पूर्व-आवश्यकताएं हैं:

- लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटलीकरण;
- लाभार्थियों के बैंक खाते खोलना; तथा
- आधार नामांकन।

1.1.5 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं की पहचान

एक योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी यदि:

- योजना के अंतर्गत व्यक्तियों अथवा परिवार को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जा सकता है;
- पहचान किए गए लाभार्थियों को अंतरित लाभों अर्थात् नकद अथवा किसी विशिष्ट वस्तु में; तथा
- यह योजना भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित है।

1.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की विभिन्न प्रक्रिया

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा जारी नकद तथा प्रकार में विभिन्न योजनाओं को 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' के अनुसार कवर[1] किया जा रहा है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अथवा अन्य भुगतान प्रणालियों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है:

I. मंत्रालय की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर में लाभार्थी की पहचान तथा नामांकन;

II. पहली बार बैंक खाते के विवरण का सत्यापन शामिल करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (अथवा कोई अन्य प्रणाली) में लाभार्थी का सत्यापन/पंजीकरण;

III. भुगतान फ़ाइल निर्देशों का सृजन; तथा

IV. भुगतान फ़ाइल का प्रसंस्करण तथा लाभार्थी को भुगतान।

चित्र 1: लाभार्थी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तक की यात्रा

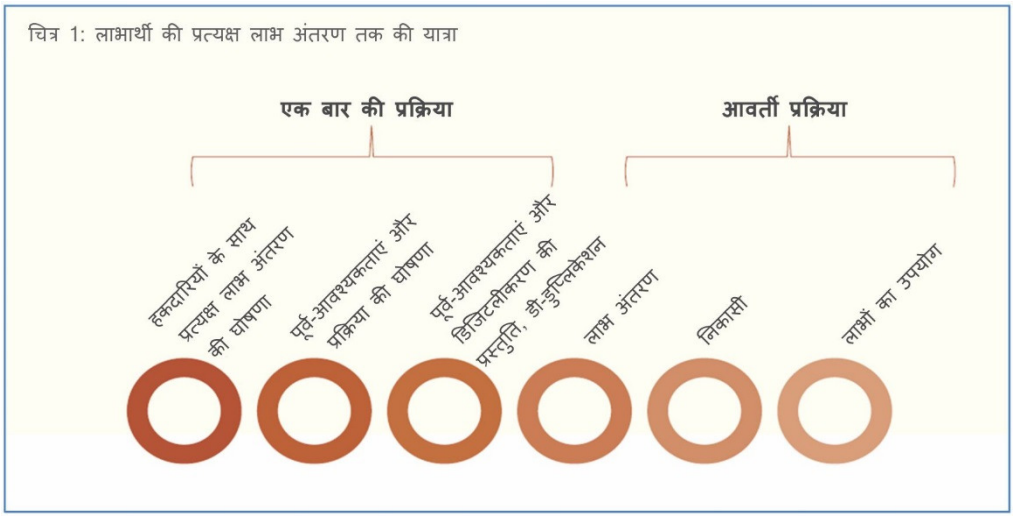

स्रोत: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण फ्लायर

1.3 संगठनात्मक संरचना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा को समाज के अलाभकारी और सीमांत वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का काम सौंपा गया है। राज्य में सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभाग के पास निहित है। चयनित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं लाभार्थी अनुमोदन विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

[1] उदाहरणार्थ: **नकद**: पहल (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। **प्रकार में**: सार्वजनिक वितरण प्रणाली। **अन्य अंतरण**: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक तथा शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता कर्मचारी।

तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाने, प्रयासों के दोहराव को खत्म करने तथा मतभेदों को दूर करने हेतु अर्थात् प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर योजनाओं के आसान परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र और राज्य के बीच समन्वित प्रयास के लिए भारत सरकार ने राज्यों से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष स्थापित करने को कहा है। राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर योजनाओं को लाने और लागू करने के सभी प्रयासों के समन्वय के लिए इन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्षों के वन-स्टॉप पॉइंट होने की उम्मीद है। इसलिए, राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में हरियाणा के वित्त विभाग के तहत 13 जून 2016 को राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेल का गठन किया गया था। राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेल मुख्य रूप से वित्त विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के समन्वय की दिशा में काम करने के लिए जिम्मेदार है। कक्ष राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण परिचालन से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

1.4 राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति

एक प्रमुख सुधार पहल के रूप में, हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न समाज कल्याण लाभार्थी योजनाएं प्रारंभ की हैं। वर्तमान में राज्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर 25 विभागों की 135 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू योजनाएं शामिल हैं। लाभार्थियों, योजनाओं तथा लाभार्थियों के खातों[2] में अंतरित राशि की वर्षवार संख्या को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1: लाभार्थी, अंतरित निधियों तथा योजनाओं की वर्षवार की संख्या

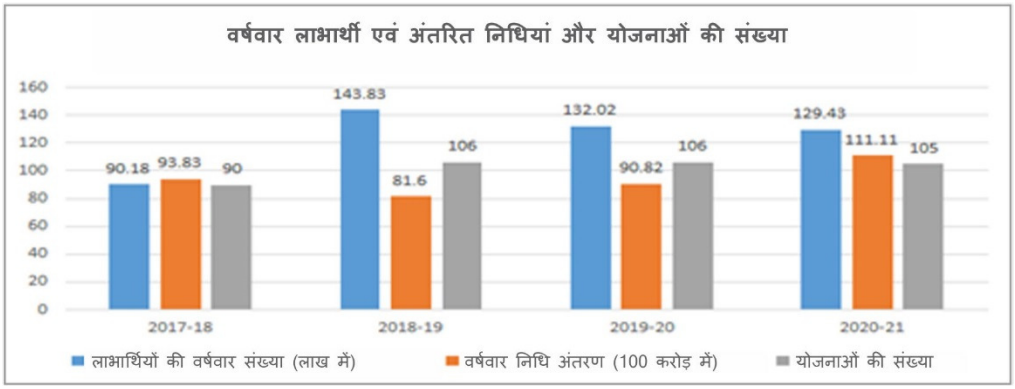

उपर्युक्त चार्ट दर्शाता है कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान लाभार्थियों के खातों में कुल ₹ 37,736 करोड़ की राशि अंतरित की गयी थी। 2017-18 में 90.18 लाख की तुलना में वर्ष 2018-19 में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 143.83 लाख हो गई थी। वृद्धि मुख्य रूप से 'पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण' योजना (16.63 लाख लाभार्थी), मध्याह्न भोजन योजना (14.92 लाख लाभार्थी) और समग्र शिक्षा (9.44 लाख लाभार्थी) के कारण हुई। इसके बाद 2019-20 में आठ योजनाओं और आगे 2020-21 में चार योजनाओं[3] में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण 2020-21 में यह घटकर 129.43 लाख हो गई।

---

[2] कई योजनाओं में नामांकित एक व्यक्ति प्रत्येक योजना के अंतर्गत एक अलग लाभार्थी है।

[3] प्रारंभिक शिक्षा की दो योजनाएं तथा ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास के लिए एक-एक योजना।

- इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष हेतु लाभ अंतरण की जानकारी और गतिविधियों को एकत्रित करने के लिए सितंबर 2017 में राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल बनाया गया था जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल के साथ एकीकृत है। राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का समेकित डैशबोर्ड;
  - योजना-वार अथवा स्थल-वार रिपोर्ट;
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू होने योग्य योजना/सेवा हेतु प्रगति निगरानी प्रणाली; तथा
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कोड प्रबंधन।
- राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्रोटोकॉल दस्तावेज़ के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष योजनाओं तथा कार्यक्रमों की सूची संकलित करने हेतु उन सभी विभागों के साथ समन्वय करता है जिन पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू करने योग्य राज्य तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की पहचान योजनाओं को कार्यान्वयित करने वाले संबंधित विभागों द्वारा की जाती है। संबंधित विभाग के अनुरोध पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा चिन्हित योजनाओं को राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। योजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया नीचे वर्णित है:
  - संबंधित विभाग राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर योजना को अपलोड करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरता है तथा इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेल में जमा करता है जो भौतिक रूप में किया जाता है तथा डाटा प्रविष्टि के माध्यम से शामिल किया जाता है।
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष योजना (साझा करने के आधार पर राज्य योजना अथवा केंद्र प्रायोजित योजना) के लिए एक यूनिक कोड बनाने हेतु विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड करता है।
  - विशिष्ट कोड सृजित किए जाने के पश्चात, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा प्रोफार्मा में राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर शेष जानकारी अपलोड की जाती है।
  - योजना अब संबंधित विभागों को राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर आगे और अद्यतनीकरण के लिए दृष्टिगोचर हो जाती है।
  - प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय यूजर सृजित किया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड की गई योजना तक पहुंचने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिया जाता है।

- विभागीय उपयोगकर्ता इसके पश्चात यूजर आईडी तथा पासवर्ड सृजित करके योजना स्वामी (स्वामियों) को बनाता है और राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर डाटा को अद्यतन करने के लिए योजना स्वामी को योजना/योजनाएं सौंपता है।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कोड[4] अखिल भारतीय आधार पर सृजित किया जाता है और जो वित्तीय लेनदेनों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल पर डाटा की रिपोर्टिंग के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू होने योग्य घटक/योजना को अलग करने के उद्देश्य के साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेनदेनों की पहचान के लिए प्रत्येक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लिए यादृच्छिक रूप से उत्पन्न पांच अंकों का कोड है।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कोड प्रक्रिया की निगरानी करता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भारत पोर्टल के साथ एकीकृत करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के संबंध में विभागों द्वारा की गई प्रगति अर्थात (i) लाभार्थी डाटाबेस डिजिटलीकरण, (ii) वैध आधार संख्या के साथ लाभार्थी डाटाबेस की सीडिंग, (iii) लाभ का अंतरण - नकद हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके, तथा के प्रकार के लिए आधार केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी से लाभार्थी प्रमाणीकरण के संबंध में विभागों द्वारा की गई प्रगति के उद्देश्य से योजना-वार/स्थान-वार रिपोर्ट तैयार करता है।

1.5 योजनाओं का चयन

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया गया कुल अंतरण ₹ 9,081.69 करोड़ था। इसमें से ₹ 6,455.07 करोड़ (71 प्रतिशत) की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा अंतरित की गई थी। जिन 14 योजनाओं में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा धन अंतरित किया गया है, उनमें से अधिकतम लाभ (94 प्रतिशत) तीन योजनाओं अर्थात (i) वृद्धावस्था पेंशन योजना (ii) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को हरियाणा पेंशन योजना और (iii) हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से अंतरित किया गया था। तद्नुसार इन तीनों योजनाओं को लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया।

जैसा नीचे वर्णित है तीन योजनाओं का उद्देश्य संबंधित वर्ग के व्यक्तियों जो अपने स्वयं के संसाधनों के साथ गुजारा करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है:

(i) हरियाणा सरकार ने 01 नवंबर 1966 से वृद्धावस्था पेंशन योजना को लागू किया। राज्य सरकार ने इस योजना को बढ़ाया तथा "वृद्धावस्था पेंशन योजना-1991" की

[4] संहिताकरण संरचना है - (क) से शुरू होने वाला योजना कोड - केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, (ख) से शुरू होने वाला योजना कोड - केंद्र प्रायोजित योजनाएं, (ग) से शुरू होने वाला योजना कोड - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं, (घ) से शुरू होने वाला योजना कोड - जिला योजनाएं, (ड) से शुरू होने वाला योजना कोड - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र प्रायोजित योजनाएं। स्कीम कोड के शेष चार वर्णों का मान 0-9 और क से श के बीच होगा।

शुरुआत की, जिसे अब "वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना" नाम दिया गया है। यह योजना 01 जुलाई 1991 से लागू की गई थी।

(ii) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए हरियाणा पेंशन योजना वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी।

(iii) हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजनाएं वर्ष 1981-82 में शुरू की गई थीं। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा व्यय और तीन चयनित योजनाओं का विवरण तालिका 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: विभाग द्वारा किए गए व्यय के विवरण

योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा किए गए कुल व्यय से चयनित योजना के व्यय की प्रतिशतता	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा किए गए कुल व्यय से चयनित योजना के व्यय की प्रतिशतता	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा किए गए कुल व्यय से चयनित योजना के व्यय की प्रतिशतता
	2018-19			2019-20			2020-21		
सभी योजनाओं पर विभाग द्वारा किया गया कुल व्यय (₹ करोड़ में)	**5,714.31**			**6,455.07**			**7,701.49**		
चयनित योजनाओं के अंतर्गत किया गया व्यय[5]									
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	16,83,942	3,490.19	94%	17,67,874	4,001.95	93.41%	17,85,815	4,616.93	93.26%
विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन	7,19,523	1,525.93		7,39,399	1,624.41		7,60,328	2,098.46	
हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना	1,67,238	351.50		1,75,129	403.40		1,76,865	467.07	
कुल	**25,70,703**	**5,367.62**		**26,82,402**	**6,029.76**		**27,23,008**	**7,182.46**	

तथापि, बजट दस्तावेज के अनुसार, चयनित योजनाओं के अंतर्गत व्यय 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 5,372.39 करोड़, ₹ 6,128.29 करोड़ और ₹ 7,156.57 करोड़ है। बजट दस्तावेज और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल के अनुसार व्यय में इस अंतर के कारणों की विभाग द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है।

1.6 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लाभों के संवितरण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में लाभार्थी की पहचान, नामांकन और लाभार्थियों को भुगतान में शामिल चरण इस प्रकार हैं:

[5] राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले लाभार्थियों के लिए 2018-19 के दौरान ₹ 841.09 करोड़, 2019-20 के दौरान ₹ 1,011.02 करोड़ और 2020-21 के दौरान ₹ 1,120.21 करोड़ का लाभ शामिल है।

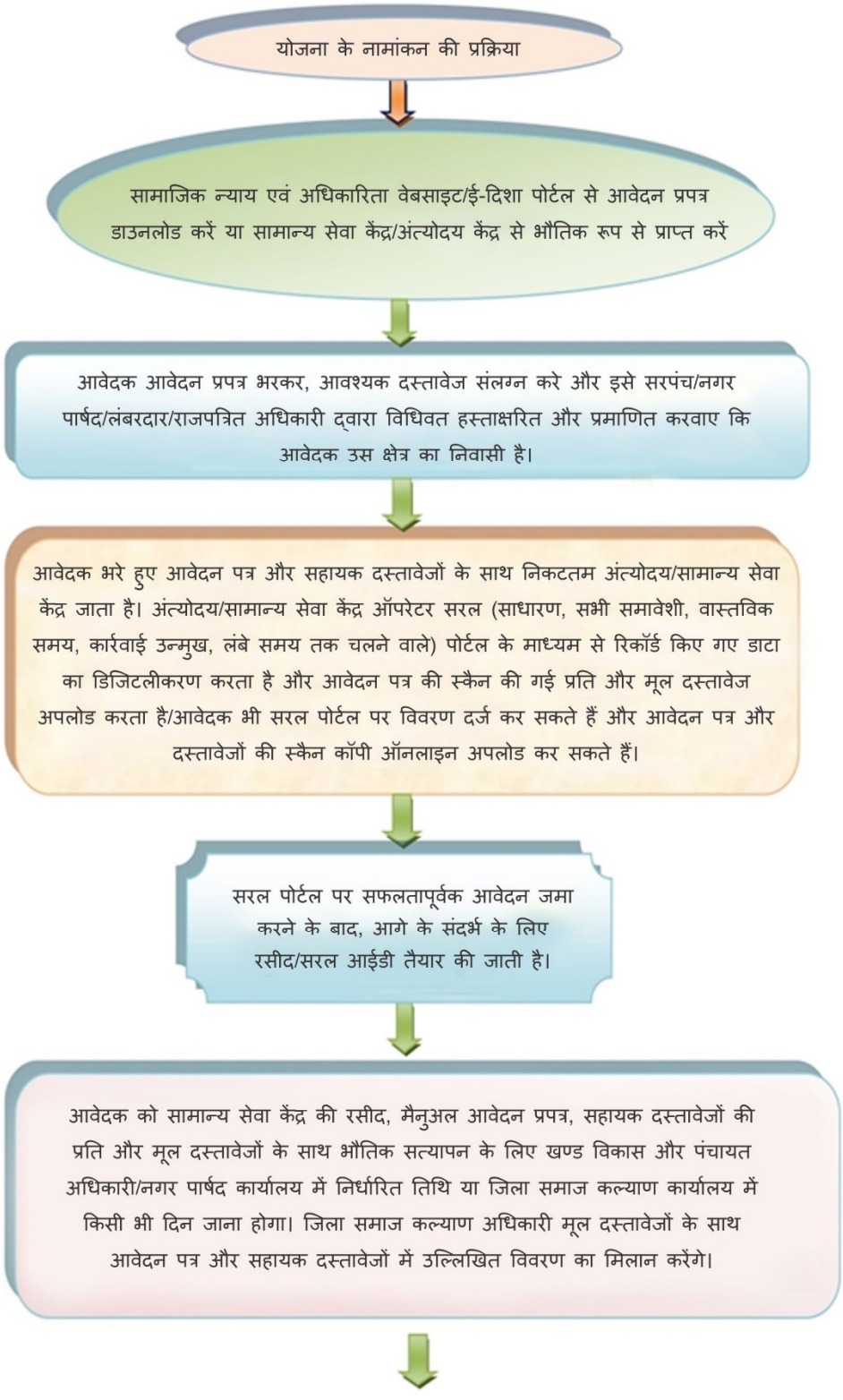
योजना के नामांकन की प्रक्रिया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता वेबसाइट/ई-दिशा पोर्टल से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें या सामान्य सेवा केंद्र/अंत्योदय केंद्र से भौतिक रूप से प्राप्त करें
आवेदक आवेदन प्रपत्र भरकर, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे और इसे सरपंच/नगर पार्षद/लंबरदार/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित करवाए कि आवेदक उस क्षेत्र का निवासी है।
आवेदक भरे हुए आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ निकटतम अंत्योदय/सामान्य सेवा केंद्र जाता है। अंत्योदय/सामान्य सेवा केंद्र ऑपरेटर सरल (साधारण, सभी समावेशी, वास्तविक समय, कार्रवाई उन्मुख, लंबे समय तक चलने वाले) पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए डाटा का डिजिटलीकरण करता है और आवेदन पत्र की स्कैन की गई प्रति और मूल दस्तावेज अपलोड करता है/आवेदक भी सरल पोर्टल पर विवरण दर्ज कर सकते हैं और आवेदन पत्र और दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
सरल पोर्टल पर सफलतापूर्वक आवेदन जमा करने के बाद, आगे के संदर्भ के लिए रसीद/सरल आईडी तैयार की जाती है।
आवेदक को सामान्य सेवा केंद्र की रसीद, मैनुअल आवेदन प्रपत्र, सहायक दस्तावेजों की प्रति और मूल दस्तावेजों के साथ भौतिक सत्यापन के लिए खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी/नगर पार्षद कार्यालय में निर्धारित तिथि या जिला समाज कल्याण कार्यालय में किसी भी दिन जाना होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों में उल्लिखित विवरण का मिलान करेंगे।

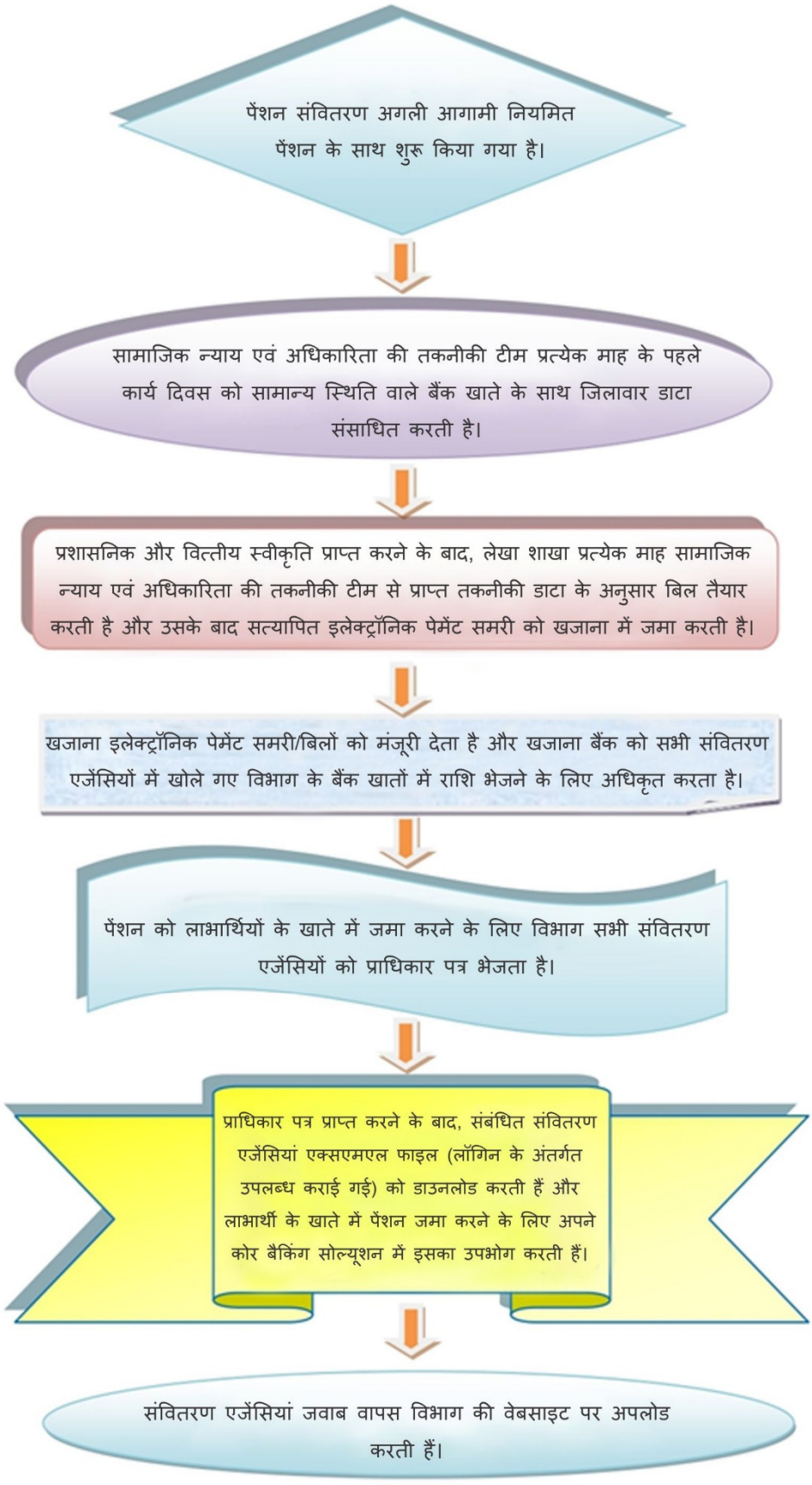
पेंशन संवितरण अगली आगामी नियमित पेंशन के साथ शुरू किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की तकनीकी टीम प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस को सामान्य स्थिति वाले बैंक खाते के साथ जिलावार डाटा संसाधित करती है।
प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, लेखा शाखा प्रत्येक माह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की तकनीकी टीम से प्राप्त तकनीकी डाटा के अनुसार बिल तैयार करती है और उसके बाद सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट समरी को खजाना में जमा करती है।
खजाना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट समरी/बिलों को मंजूरी देता है और खजाना बैंक को सभी संवितरण एजेंसियों में खोले गए विभाग के बैंक खातों में राशि भेजने के लिए अधिकृत करता है।
पेंशन को लाभार्थियों के खाते में जमा करने के लिए विभाग सभी संवितरण एजेंसियों को प्राधिकार पत्र भेजता है।
प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद, संबंधित संवितरण एजेंसियां एक्सएमएल फाइल (लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई) को डाउनलोड करती हैं और लाभार्थी के खाते में पेंशन जमा करने के लिए अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन में इसका उपभोग करती हैं।
संवितरण एजेंसियां जवाब वापस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करती हैं।

विभाग ने अक्तूबर 2020 में लाभार्थियों को भुगतान के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाया। उसके बाद डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (एक्स्टेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज) फाइलों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सर्वर पर सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्षेत्र में रखा जा रहा है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सिस्टम फाइल को चुनता है और लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि जमा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को पावती की स्थिति भेजता है। क्रेडिट करने के बाद, प्रतिक्रिया फाइलों को पुनः सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्षेत्र में रखा जाता है।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह पता करने के लिए की गई थी :

(i) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पुनः अभियंत्रण किया गया था ताकि न्यूनतम किया जा सके:

क) मध्यस्थ स्तर;

ख) अभिप्रेत लाभार्थियों को भुगतान में देरी; तथा

ग) चोरी और पुनरावृत्ति।

(ii) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की आधारभूत संरचना, संगठन तथा प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था।

1.8 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र तीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं तक सीमित है, अर्थात् (i) वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (ii) विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन और (iii) हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना। नमूने के प्रयोजन हेतु किए गए कुल व्यय को आकार माप के रूप में लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के डाटा विश्लेषण एवं अभिलेखों के माध्यम से प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच की। डाटा विश्लेषण के परिणाम चयनित छः जिलों अर्थात अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर में वैध किए गए थे।

सिस्टम डिजाइन प्रलेखन के अभाव में, सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों की मौजूदगी को मान्य नहीं किया जा सका था।

1.9 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, निर्देश एवं अधिसूचना।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाएं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर हैंडबुक तथा राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के लिए दिशानिर्देश।
- लाभार्थियों और भुगतानों की पहचान और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पर योजनाओं के दिशानिर्देश।
- डाटाबेस के रखरखाव, विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने और सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के संबंध में निर्देश।

1.10 लेखापरीक्षा पद्धति

दिसंबर 2020 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ एक एंट्री कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा के क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अभिलेखों के डाटा विश्लेषण एवं परीक्षण के माध्यम से चयनित योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की जांच पर केंद्रित थी। लेखापरीक्षा आपत्तियों को चयनित जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों में वैध किया गया था।

प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि को शामिल किया गया और 28 सितंबर 2021 को सरकार को अग्रेषित किया गया। 03 दिसंबर 2021 को अपर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता; सचिव वित्त, उप-निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के साथ एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विभाग/सरकार के विचारों को शामिल किया गया है तथा एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उत्तरों को भी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.11 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 और 3 में शामिल हैं। दो लेखापरीक्षा उद्देश्यों में से प्रत्येक से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों तथा सिफारिशों को आसान समझने और अनुवर्ती कार्रवाई की सुविधा के लिए दो अलग-अलग अध्यायों में प्रतिवेदित

किया गया है। परिणाम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा और रिकॉर्ड पर आधारित हैं।

1.12 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न चरणों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।

अध्याय 2

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए पुन:अभियंत्रण प्रक्रिया

अध्याय 2

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए पुन:अभियंत्रण प्रक्रिया

2.1 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए प्रलेखन तैयार न करना

आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मौजूदा बोझिल संवितरण प्रक्रियाओं का पुन:अभियंत्रण करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक प्रमुख सुधार पहल है। किसी भी योजना या कार्यक्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी एक अपेक्षित महत्वपूर्ण अंग है।

योजनाएं मैनुअल मोड के अंतर्गत परिचालन में थीं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे को अपनाने के लिए प्रक्रिया का पुन:अभियंत्रण तथा लेखापरीक्षा ट्रेल के रखरखाव सहित प्रणाली विकास के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करना महत्वपूर्ण था। इसके लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकता को एकत्र करने और ज्ञान हस्तांतरण एवं व्यापार निरंतरता के लिए इसका प्रलेखन करने के लिए इसे प्रणाली आवश्यकता और डिजाइन के अनुरूप करने हेतु एक परामर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से 2017-18 से 2019-20 (जुलाई 2020 तक विस्तारित) की अवधि के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तथा कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीकों जैसे टेबलू तथा इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन विश्लेषण (आइडिया) का उपयोग करके प्राप्त किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों का डाटा विश्लेषण किया।

डाटा विश्लेषण के परिणामों का सत्यापन क्षेत्र कार्यालयों अर्थात् छः जिला समाज कल्याण कार्यालयों यथा अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर में उपलब्ध अभिलेखों के साथ किया गया था। सांख्यिकीय नमूना पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रत्येक चयनित जिला कार्यालयों में सत्यापन के लिए पांच प्रतिशत मामलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की लाभ योजनाओं के अंतर्गत लाभ संवितरण के कम्प्यूटरीकरण हेतु एप्लिकेशन के विकास का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किया गया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने एप्लिकेशन के विकास को शुरू करने से पहले कोई उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश/प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश तैयार नहीं किया था।

जब प्रणाली को पूर्ण प्रलेखन के अभाव में विकसित किया जाता है, तो यह न केवल लंबे समय तक प्रणाली को बनाए रखना मुश्किल बना देगा बल्कि इस प्रकार आश्वासन प्राप्त करने हेतु प्रणाली की समीक्षा करना संभव नहीं होगा कि यह कार्य को अभिप्रेत अनुसार करती है।

सिस्टम आवश्यकता विनिर्देश तैयार न होने के कारण, लेखापरीक्षा एप्लिकेशन में पूर्ण व्यवसाय नियमों की मैपिंग और पर्याप्त प्रणाली नियंत्रण के बारे में स्वयं को आश्वस्त नहीं कर सकी।

मृत पेंशनभोगियों का नामांकन, मृत पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए कम उम्र के व्यक्तियों का नामांकन, एक ही व्यक्ति का कई योजनाओं के अंतर्गत नामांकन, एक ही आधार आईडी के अंतर्गत नामांकित कई व्यक्ति, लाभार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति के खाते में लाभ का अंतरण जैसी कमियां लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई थी (जिनकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है) जो कमजोर प्रणालीगत नियंत्रण को दर्शाता है।

चूंकि प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश/उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश तैयार नहीं किया गया था, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली की प्रभावशीलता को लेखापरीक्षा उद्देश्यों और डाटा विश्लेषण के अनुरूप डिजाइन किए गए लक्षित लेखापरीक्षा प्रश्नों के माध्यम से जांचा गया था। विश्लेषण और सत्यापन इस तथ्य को जानने के लिए केंद्रित था कि क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया पुन:अभियंत्रण, दोहराव, सटीक लक्ष्यीकरण और प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था। अध्यायों में विश्लेषण के निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार कमियों का वित्तीय निहितार्थ ₹ 237.31 करोड़ था जैसा कि नीचे तालिका 2.1 में वर्णित है:

तालिका 2.1: कमियों के वित्तीय निहितार्थ का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद संदर्भ	श्रेणी/उप श्रेणी	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन	हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान के संबंध में धन मूल्य पर प्रभाव
2.6.1	विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का अंतरण	80.12	13.76	3.66	97.54
2.6.3	सामान्य पेंशन खाते के रूप में माने गए मृत लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण	1.63	0.56	0.14	2.33
2.9	एक ही आधार नंबर पर कई लाभार्थियों को संवितरित पेंशन	6.61	2.08	0.46	9.15
2.10	दो योजनाओं के अंतर्गत एक साथ लाभ देकर अनुचित लाभ	0.21	-	-	0.21
2.11	अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में लाभार्थियों की पेंशन का अंतरण	36.95	17.53	-	54.48
2.12	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान (60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले लाभार्थियों को अंतरण)	0.94	-	-	0.94
2.13	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण	5.96	2.27	0.30	8.53
2.14	पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण	46.38	13.91	3.84	64.13
	कुल				**237.31**

प्रलेखन के बिना सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन विकास के मामलों/अभ्युक्तियों और अनियमित भुगतान के मामलों की जांच की जानी चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.2 पेंशन लाभों के संवितरण में विलंब

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्य भुगतान में तेजी लाकर एवं वित्तीय समावेशन[1] को बढ़ाकर लोगों को बेहतर और समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना था। विभाग द्वारा संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों को जारी प्राधिकार-पत्र के अनुसार पेंशन राशि प्राधिकार-पत्र जारी होने की तिथि को लाभार्थियों के खाते में जमा की जानी चाहिए। तथापि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान के लिए स्थायी संचालन प्रक्रिया पर विचार करते हुए भुगतान प्रतिक्रिया (सफलता/विफलता) प्राप्त करने के लिए अधिकतम समय टी+4 कार्य दिवस है, जहां टी लेन-देन का दिन है जब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्रणाली द्वारा भुगतान प्रक्रिया को प्राधिकृत करने के साथ भुगतान फाइल प्राप्त होती है तथा $टी_4$ भुगतान फाइल के प्रवर्तक को भुगतान की प्रक्रिया (सफलता/विफलता) के बाद प्रतिक्रिया फाइल जमा करने के लिए अधिकतम अनुमेय समय का प्रतिनिधित्व करता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि:

(क) भुगतान स्थिति क्षेत्र

अप्रैल 2017 और जुलाई 2020 की अवधि के लिए विभाग द्वारा प्रदान किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों के विश्लेषण पर यह पाया गया कि अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में ₹ 19,803.12 करोड़ (10,47,65,864 लेन-देन) की पेंशन अंतरित की गई। इस डाटाबेस में गंतव्य बैंक से प्रत्येक लेन-देन की स्थिति 'भुगतान स्थिति' के अंतर्गत दर्ज की गई थी। 'भुगतान की स्थिति' क्षेत्र के अंतर्गत सात प्रकार के संदेशों अर्थात् 'सफल', 'अन्य', 'सफल जमा', 'फ्रीज़ खाता', 'खाता निष्क्रिय है', 'खाता मौजूद नहीं है', 'खाता बंद है' तथा 'प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई' को कैप्चर किया गया था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि:

- लाभार्थियों के खातों में ₹ 19,803.12 करोड़ में से केवल ₹ 16,695.71 करोड़ (8,74,52,031 लेन-देन) सफलतापूर्वक अंतरित किए गए ***(परिशिष्ट-I)***।
- विभाग द्वारा ₹ 3,025.61 करोड़ (1,68,80,027 लेन-देन) के लेन-देन की स्थिति डाटाबेस में अद्यतन नहीं की गई है। संवितरण एजेंसियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पेंशन पोर्टल पर प्रतिक्रिया अपलोड करने की आवश्यकता थी। हालांकि, इसे न तो पोर्टल पर अपलोड किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी निगरानी की गई।
- लाभार्थियों के खाते में ₹ 81.80 करोड़ की पेंशन (4,33,806 लेन-देन) कई कारणों जैसे कि फ्रोजन, खाता निष्क्रिय है, खाता मौजूद नहीं है, खाता बंद है एवं अन्य कारणों से अंतरित नहीं की गई है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि यह राशि

[1] वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि विभाग के पास एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से प्रदान की जाने वाली उपयोगी सेवाओं तक पहुंच है जो उनकी जरूरतों - लेनदेन, भुगतान और बचत को पूरा करती हैं।

विभाग द्वारा वापस प्राप्त की गई थी अथवा संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों के पास पड़ी थी।

- ₹ 10.86 करोड़ (58,872 लेन-देन) के ऐसे लेन-देन थे जहां लाभार्थियों के खातों में क्रेडिट/भुगतान की स्थिति को डाटाबेस में शीर्ष 'अन्य' के अंतर्गत दर्शाया गया था। मिलान के अभाव के कारण इन लेन-देनों की वर्तमान स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। विभाग को क्रेडिट की वास्तविक स्थिति का मिलान कर उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

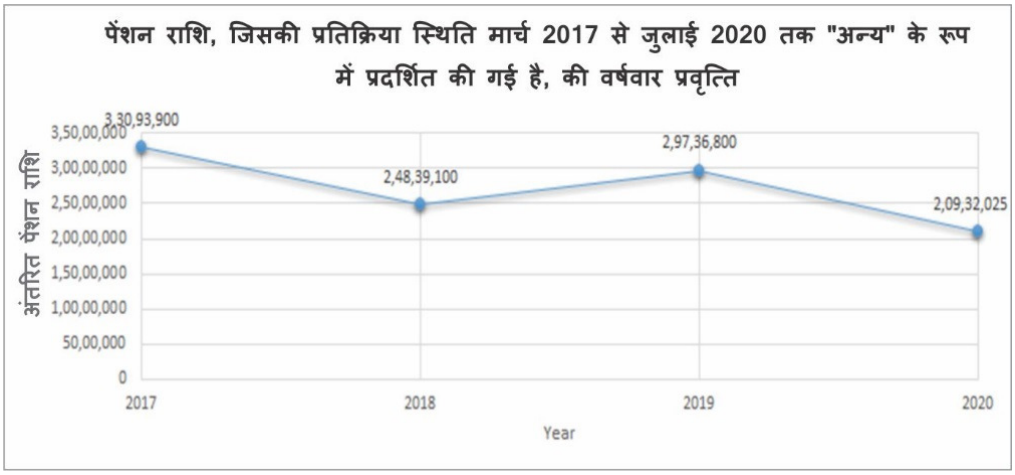

विभाग ने संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों को जारी मासिक प्राधिकार-पत्र में उल्लेख किया है कि प्राधिकार-पत्र जारी होने के दिन ही लाभार्थियों के खातों में राशि जमा की जाए और असंवितरित राशि विभाग को उसके विवरण के साथ वापस की जाए। न तो संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों द्वारा ऐसा किया गया और न ही विभाग द्वारा इसका अनुसरण किया गया। यह भी उल्लेख करना भी उचित था कि विभाग ने संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

(ख) लेन-देनों के लिए लिया गया समय

भुगतान फाइल के प्रवर्तक को भुगतान की प्रक्रिया (सफल/असफल) के बाद प्रतिक्रिया फाइल की प्रस्तुति के लिए अधिकतम अनुमत समय के पश्चात् अर्थात् बैंकों/संवितरण एजेंसी को प्राधिकार-पत्र से चार दिनों पश्चात् ₹ 7,852.23 करोड़ की पेंशन 4,22,06,476 लेन-देनों में अंतरित की गई थी ***(परिशिष्ट-III)***। विलंब एक दिन (अर्थात् टी+4 के बाद के दिन) से लेकर 444 दिनों के मध्य था।

लाभार्थियों को लाभ के संवितरण में विलंब ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के मुख्य उद्देश्य को विफल कर दिया, जबकि समय पर मिलान और राशि जमा करने के लिए निर्देशों को लागू न करने की कमी का उपाय करना होगा, ताकि प्रणाली अपेक्षित रूप से काम कर सके।

2.3 लाभार्थियों के विलंब से नामांकन के कारण वांछित लाभ प्रदान करने में विलंब

भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता के साथ-साथ अन्य अभाव की दशाओं में बिना शर्त सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। सामाजिक सुरक्षा, अवैध और वृद्धावस्था पेंशन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची की मद संख्या 23 और 24 के रूप में हैं। यह इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में है कि भारत सरकार ने 1995 के स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पूर्ण वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया।

वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में इसके घटकों के रूप में पांच[2] उप-योजनाएं शामिल हैं जिनमें निम्नलिखित तीन शामिल हैं: **(क)** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना **(ख)** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना **(ग)** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना।

अक्तूबर 2014 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि:

(i) राज्य यह सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्ति की पात्रता को उनके घरों तक पहुंचकर सक्रिय रूप से पहचाना जाना चाहिए। हालांकि, यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में नहीं आता है तो उसे पात्र लाभार्थियों की सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की उप-योजनाओं के अंतर्गत सहायता गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए लागू है।

(iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र आयु 60 वर्ष है।

(iv) क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान करने और फॉर्म भरवाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। साथ ही संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(v) गरीबी रेखा से नीचे के नए लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को केंद्रीय भूमिका दी जानी चाहिए। निर्वाचित प्रमुखों और प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के मानदंडों और प्रक्रियाओं के बारे में अवगत किया जाना चाहिए।

(vi) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 के निर्देशों के अनुसार भी योग्य व्यक्ति की पात्रता की पहचान की जानी चाहिए और उसे लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

---

[2] (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (iv) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और (v) अन्नपूर्णा योजना। राज्य की चयनित योजनाओं द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभ शामिल हैं।

(vii) जब भी व्यक्ति आवेदन दाखिल करें, यह प्राधिकृत अधिकारियों का दायित्व है कि वे संभावित लाभार्थियों तक 'आज ही' दृष्टिकोण के साथ पहुंचे और आवेदन-पत्र भरवाएं तथा प्रासंगिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करें। क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों को लाभार्थियों की पहचान कर फार्म भरने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। साथ ही संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गरीबी रेखा से नीचे के 78,567[3] लाभार्थियों ***(परिशिष्ट-III*** में दिए गए जिला-वार विवरण***)*** को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योजना प्रबंधन प्रणाली में पंजीकृत किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे के इन लाभार्थियों के नाम दर्ज करने में विलंब की सीमा एक वर्ष से लेकर 20 वर्ष के मध्य थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: लाभार्थियों के नामांकन में विलंब की सीमा के विवरण

विलंब की सीमा वर्षों में (60 वर्षों के बाद)	लाभार्थियों की संख्या
0-5	61,987
6-10	12,969
11-20	3,288
कुल योग	**78,244**

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि गरीबी रेखा से नीचे के 78,244 लाभार्थियों (जिनमें से 75,214 को आज की स्थिति अनुसार सामान्य[4] के रूप में दर्शाया गया है) को एक वर्ष से 20 वर्ष के मध्य की विलंब के साथ पंजीकृत किया गया था, जबकि इन लाभार्थियों को विभाग द्वारा सक्रिय रूप से तब पहचाना जाना चाहिए था जब लाभार्थी ने आयु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। विभाग द्वारा उनके घरों तक पहुंचकर लाभार्थियों की पहचान की जानी चाहिए।

छः चयनित जिलों में गरीबी रेखा से नीचे के 22,206 लाभार्थी थे, जिन्हें डाटा विश्लेषण के परिणामों के अनुसार विलंब से लाभ दिया गया था। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में 541[5] मामलों (0-5 वर्ष: 426, 6-10 वर्ष: 91, 11-20 वर्ष: 21 मामले, 20 से अधिक वर्षों के लिए तीन मामले) के साथ डाटा विश्लेषण के परिणामों की जांच की गई थी। सत्यापन ने सभी 541 मामलों के संबंध में डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। इसके अलावा, छः जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से किसी के द्वारा भी घरेलू सर्वेक्षण नहीं किया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

---

[3] तालिका में उल्लिखित 78,244 लाभार्थियों के अलावा, 323 लाभार्थियों (योजना की शुरुआत के बाद की अवधि के लिए) को अभीष्ट लाभ देने में 21-40 वर्षों का विलंब भी देखा गया था।

[4] डाटाबेस के अनुसार उस तिथि को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र कोई भी व्यक्ति।

[5] अंबाला-100, कैथल-100, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-41 और यमुनानगर-100

2.4 लाभार्थियों के नामांकन में विलंब से सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होना

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन योजनाओं के लिए अधिसूचित समय सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान करने का प्रावधान करता है। सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, सेवाएं प्रदान करने की समयावधि को संशोधित (नवंबर 2016) कर आवेदन की तारीख से 120 दिन से 60 दिन कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना प्रबंधन प्रणाली में 2,84,471 लाभार्थी हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित समय सीमा अर्थात् 60 दिनों के बाद पंजीकृत किए गए थे। चयनित योजनाओं अर्थात वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, निराश्रित महिला को पेंशन तथा हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन में लाभार्थियों के नाम दर्ज करने में विलंब की सीमा एक दिन से 963 दिनों के मध्य थी।

डाटा विश्लेषण के परिणामों के अनुसार छः चयनित जिलों में 80,434 लाभार्थी थे, जिनका नामांकन विलंब से हुआ था। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में 600[6] (विलंब की सीमा: एक दिन से 609 दिनों के बीच) चयनित मामलों के साथ परिणामों का क्रॉस सत्यापन किया गया। सत्यापन ने सभी 600 मामलों के डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया में परिणामों की पुष्टि की।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संवितरण के लिए विशिष्ट समय-सीमा का पालन न करना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं आय समर्थन योजनाओं जैसी हैं और योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी मासिक आधार पर पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। 2001 की रिट याचिका संख्या 196 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों के आंकड़ों के विश्लेषण पर पाया कि संवितरण एजेंसियों को पेंशन भुगतान प्राधिकार जारी करने में विलंब हुआ था। विलंब दो और 262 दिनों के मध्य था (प्रत्येक माह की 10वीं[7] तारीख से गणना की गई)। यह भी पाया गया कि गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित सभी योजनाओं के अंतर्गत उक्त समय सीमा में नियमित रूप से पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों का उल्लंघन था।

---

6 अंबाला-100, कैथल-100, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-100 और यमुनानगर-100

7 विभाग स्तर पर प्रसंस्करण के लिए तीन दिनों पर विचार किया गया।

लाभों का भुगतान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को सुनिश्चित न करने से समाज के कमजोर वर्ग को कठिनाई होगी। इसके अलावा विभाग मासिक प्राधिकार-पत्र में संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों को निर्देश देता है कि वे प्राधिकार-पत्र जारी होने के दिन ही लाभार्थियों के खातों में राशि जमा करें और असंवितरित राशि विवरणों के साथ विभाग को वापस करें।

2.6 मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का अंतरण

हरियाणा सरकार की दिनांक 20 सितंबर 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत 29 नवंबर 2005 से लागू 'वृद्धावस्था भत्ता योजना 2005' योजना नियम, 2005 के नियम 9 (ii) के अनुसार, लाभार्थी की मृत्यु पर भत्ता देय होना बंद हो जाएगा और यदि किसी विशिष्ट अवधि के लिए भत्ता प्राप्त करने से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, वह समाप्त हो जाएगा।

आगे दिनांक 10 जून 2011 की सरकारी अधिसूचना संख्या 459-एसडब्ल्यू(4)-2011 के अनुसार, यदि किसी मामले में बैंक खाते से लगातार 60 दिनों की अवधि तक कोई निकासी नहीं होती है, तो बैंक द्वारा इस योजना के प्रयोजन के लिए इस तरह के बैंक खाते को "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा, जिसमें इस योजना के अंतर्गत लाभ का कोई और क्रेडिट नहीं होगा। बैंक द्वारा ऐसे "निष्क्रिय" बैंक खातों की सूचना विभाग को दी जाएगी। यदि लाभार्थी 90 दिनों के अंदर उचित कारण के साथ बैंक खाते के पुन:परिचालन हेतु आवेदन करता है तो बैंक खाते को निदेशक की अनुमति से पुनःपरिचालनगत किया जा सकता है। यदि नहीं, तो इस योजना के उद्देश्य हेतु बैंक खाते "डेड" हो जाएगा और अंतिम आहरण के बाद बैंक खाते में जमा किए गए लाभों को बैंक द्वारा अर्जित ब्याज के साथ विभाग को वापस प्रेषित किया जाएगा।

विभाग मासिक प्राधिकार-पत्र में संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों को अनुदेश देता है कि प्राधिकार-पत्र जारी होने के दिन ही लाभार्थियों के खातों में राशि जमा की जाए और असंवितरित राशि उसके विवरणों सहित विभाग को वापस कर दी जाए। विभाग ने यह भी बताया कि मृत्यु के मामलों का डाटा भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पोर्टल से प्राप्त किया जा रहा था और मृतक लाभार्थियों की पहचान आधार नंबर से मिलान करके की जा रही थी।

डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

2.6.1 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का अंतरण

एक माह से 40 माह तक की अवधि हेतु चयनित योजनाओं के अंतर्गत 91,436 मृत लाभार्थियों के खाते में ₹ 98.96[8] करोड़ की पेंशन राशि अंतरित की गई जैसा कि नीचे वर्णित है:

[8] इसमें अनुच्छेद 2.9 और 2.11 से 2.14 में चर्चा किए गए 2,580 लाभार्थियों के लिए ₹ 1.42 करोड़ शामिल हैं।

तालिका 2.3: मृत लाभार्थियों को अंतरित पेंशन के विवरण

योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या	अंतरित कुल राशि (₹ करोड़ में)
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	74,893	81.29
विधवा और निराश्रित महिलाओं को पेंशन	12,990	13.97
हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना	3,553	3.70
कुल	**91,436**	**98.96**

डाटा विश्लेषण से पता चला कि छः चयनित जिलों में 25,861 लाभार्थी थे, जहां उनकी मृत्यु के बाद खातों में पेंशन अंतरित की गई थी। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छ: कार्यालयों में 569[9] चयनित मामलों के साथ इसका क्रॉस-सत्यापन किया गया था। सत्यापन प्रक्रिया ने डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। 50 मामलों (सात कैथल, छ: पंचकुला और यमुनानगर में 37) में ₹ 9.04 लाख की राशि वसूल की गई थी। शेष 519 मामलों में, जैसा कि जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने अपनी प्रतिक्रिया में पुष्टि की है कि संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने संबंधित बैंकों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और पेंशन राशि को विभाग के खाते में वापस अंतरित करने का अनुरोध किया है।

पहले से ही मृतक के रूप में पहचाने गए लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण इंगित करता है कि इन लेन-देनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में न तो अनुकूल नियंत्रण/रोक लगाई गई थी और न ही उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा भुगतान की निगरानी की जा रही थी। डाटा विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए अंतराल की निगरानी के लिए विभाग किसी व्यावसायिक बुद्धिमत्ता या रिपोर्टों का उपयोग भी नहीं कर रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.6.2 मृत्यु के बाद नामांकित लाभार्थियों को भुगतान

संवीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया कि चयनित योजनाओं के अंतर्गत 1,092 लाभार्थियों[10] के नाम उनकी मृत्यु के बाद दर्ज किए गए थे।

₹ 23.27 लाख की पेंशन 241 लाभार्थियों को अंतरित की गई (1,092 लाभार्थियों में से जैसा कि प्रस्तुत डाटा से देखा गया है) जिनका नाम लाभार्थी के रूप में उनकी मृत्यु के बाद चयनित योजनाओं के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

यह उल्लेख करना उचित होगा कि इन लाभार्थियों की स्थिति को आज (जुलाई 2020) भी डाटाबेस में 'मृत' के रूप में दर्शाया गया है। इसने अपर्याप्त निगरानी और प्रणाली नियंत्रण को इंगित किया है।

छः चयनित जिलों में 78 लाभार्थियों के नामांकन उनकी मृत्यु के बाद किए गए थे (डाटा विश्लेषण के परिणामों के अनुसार), जहां पेंशन खातों में अंतरित की गई थी। यह जिला समाज

---

9 अंबाला-100, कैथल-100, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-69 और यमुनानगर-100

10 वृद्धावस्था सम्मान भत्ता-828 लाभार्थी, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन-167 लाभार्थी और हरियाणा दिव्यांग व्यक्ति पेंशन योजना-97 लाभार्थी।

कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में सात[11] चयनित मामलों में मान्य किया गया था। तीन मामलों (कैथल में एक और यमुनानगर में दो मामले) में ₹ 0.21 लाख की राशि वसूल की गई है। शेष चार मामलों में, संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने संबंधित बैंकों के साथ इस मुद्दे को उठाया है और पेंशन राशि को विभाग के खाते में वापस अंतरित करने का अनुरोध किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.6.3 सामान्य पेंशन खाते के रूप में माने गए मृत लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अंतरण

तीन योजनाओं के अंतर्गत 618 लाभार्थियों के खाते में ₹ 2.34[12] करोड़ की पेंशन राशि उनकी मृत्यु के बाद अब तक (जुलाई 2020) अंतरित की गई, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.4: तीन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को मृत्यु के बाद अंतरित पेंशन के विवरण

पेंशन का प्रकार	लाभार्थियों की संख्या	अंतरित पेंशन राशि (₹ में)
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	419	1,63,59,650
विधवा पेंशन	159	56,37,600
दिव्यांगता पेंशन	40	14,39,650
कुल	**618**	**2,34,36,900**

इसके अलावा, उपर्युक्त खातों को सामान्य लाभार्थियों के रूप में दिखाया गया था अर्थात पेंशन संवितरण के लिए आज तक (जुलाई 2020) पात्र लाभार्थी।

डाटा विश्लेषण के परिणामों के अनुसार, छः चयनित जिलों में 188 लाभार्थी थे जिनमें मृत लाभार्थियों को अंतरित की गई पेंशन को सामान्य माना गया था। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में 10[13] मामलों के क्रॉस सत्यापन के माध्यम से इसे मान्य किया गया था। 10 मामलों में से एक मामले (जिला करनाल) में ₹ 0.34 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी और एक अन्य मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी (पंचकुला) ने बताया कि लाभार्थी का सत्यापन प्रक्रियाधीन है। शेष आठ मामलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि गलत आधार नंबरों को जोड़ने के कारण आधार सत्यापन प्रक्रिया के दौरान त्रुटि हुई और इस प्रकार इन लाभार्थियों को मृत के रूप में घोषित कर दिया गया। हालांकि, पहले मृत घोषित लाभार्थियों के शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बाद तथा उनके आधार कार्ड के प्रस्तुतीकरण के बाद इन लाभार्थियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी गई थी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

---

11 अंबाला-1, कैथल-1, करनाल-1, कुरुक्षेत्र-1, पंचकुला-1 और यमुनानगर-2

12 इसमें 12 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.01 करोड़ की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.9, 2.11 और 2.14 में इंगित किया गया है।

13 अंबाला-3, कैथल-2, करनाल-1, कुरुक्षेत्र-2, पंचकुला-1 और यमुनानगर-1

उत्तर इंगित करता है कि आधार को जोड़ने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। चूंकि आधार को जोड़ना त्रुटि-मुक्त माना जाता है, लिगेसी डाटा के नामांकन/प्रवासन के समय गलत आधार नंबर प्रविष्ट करना और उनके भौतिक रूप से उपस्थित होने के बाद सुधार करना डाटा की अखंडता के साथ-साथ अपनाई गई प्रक्रिया पर भी संदेह उत्पन्न करता है। विभाग को जांच करने और उत्तरदायित्व तय करने की आवश्यकता है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि लिगेसी डाटा के मामले में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, नए डाटा का प्रसंस्करण करते समय विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के पोर्टल पर डाटा वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि, विभाग को तीन से चार माह बीत जाने के बाद मृत लाभार्थियों का विवरण पता चलता है। इस अवधि में इन मृत लाभार्थियों को पेंशन जारी रहती है।

2.7 पेंशन डाटाबेस में लाभार्थियों की आय का अद्यतन न होना

हरियाणा सरकार की 22 मार्च 2012 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा ₹ 50,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष कर दी गई थी। व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए पात्र था, यदि:

(i) व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो;

(ii) व्यक्ति हरियाणा राज्य का अधिवासित है और निवासी है; तथा

(iii) उसके पति/पत्नी सहित सभी स्रोतों से उसकी आय ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसी प्रकार, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला योजना के अंतर्गत विधवा और निराश्रित महिला पेंशन के लिए पात्र थी यदि सभी स्रोतों से उसकी स्वयं की आय ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष से कम थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो योजनाओं अर्थात् वृद्धावस्था सम्मान भत्ता तथा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना में कुल 34,84,872 लाभार्थियों में से 34,07,826 लाभार्थियों द्वारा आय क्षेत्र को खाली छोड़ दिया गया था। नामांकन के समय लाभार्थी की वार्षिक आय को सत्यापित करने के लिए न तो कोई तंत्र विकसित किया गया और न ही पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की आय की आवधिक समीक्षा की गई।

इस प्रकार, लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया काफी हद तक न के बराबर थी। इसके अलावा, डाटाबेस में आय की नॉन-कैप्चरिंग के परिणामस्वरूप अपूर्ण और अविश्वसनीय डाटा एकत्र हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि परिवार पहचान-पत्र[14] कार्यक्षमता प्लेटफॉर्म शामिल करते हुए पेंशन डाटाबेस में आय का अद्यतन चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से यह भी सुझाव दिया गया था कि लाभार्थियों की सत्यापित आय को डाटाबेस में अद्यतित किया जाए। साथ ही अपर मुख्य सचिव (वित्त) ने सुझाव दिया कि आय के फील्ड में विभाग को स्व-घोषणा मोड से सत्यापित आय मोड में जाना चाहिए।

2.8 लाभार्थियों के मास्टर डाटाबेस के डिजिटलीकरण में कमी

लाभार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि आधार नंबर, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट है, अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के दौरान 1,15,329 लाभार्थियों के लिए बदल दिए गए थे जिनमें 1,01,980 लाभार्थियों को अभी भी सामान्य रूप से पेंशन मिल रही है और शेष 13,349 लाभार्थियों की स्थिति को मृत/विवादित आधार/रद्द/डुप्लिकेट/अपात्र/निलंबित या पता न लगाए जाने वाले के रूप में अद्यतित कर दिया गया है।

आधार अधिनियम, 2016 (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं की लक्षित सुपुर्दगी) की धारा 7 के अनुसार आधार का उपयोग सेवाओं, लाभों तथा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रमाणीकरण के साधन के रूप में किया जाता है।

चयनित योजनाएं अर्थात् (i) वृद्धावस्था पेंशन योजना, (ii) विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना और (iii) विकलांग पेंशन योजना क्रमशः 1964, 1980-81 और 1981-82 से परिचालन में थीं। हालांकि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को विभाग द्वारा फरवरी 2015 से लागू किया गया था, जबकि हरियाणा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए आधार का उपयोग एवं धारण 23 मार्च 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था।

विभाग ने आधार नंबरों को उनकी यथार्थता सुनिश्चित किए बिना दर्ज किया और आधार डाटाबेस में प्रविष्ट किए गए नंबरों की कोई प्रामाणिकता नहीं थी। जब भी लाभार्थी ने आधार नंबर में सुधार के लिए संपर्क किया तो उसे डाटाबेस में सही कर दिया गया था।

इसके अलावा, 1,15,329 में से 1,045 लाभार्थियों के लिए आधार का परिवर्तन लेखापरीक्षा ट्रेल में दिखाई नहीं दिया था। इन लाभार्थियों के संबंध में लेखापरीक्षा ट्रेल के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन लापता लाभार्थियों के नाम कब या किस आईपी एड्रेस के उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए थे। लेखापरीक्षा ट्रेल का गुम होना एक गंभीर मामला है और यह इंगित करता है कि प्रणाली छेड़छाड़ विहीन नहीं है और प्रणाली की अखंडता के बारे में संदेह पैदा

[14] परिवार पहचान-पत्र का उद्देश्य राज्य में रहने वाले परिवारों का एक व्यापक, विश्वसनीय और सटीक डाटाबेस बनाना है, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा राज्य भर में कल्याण योजना प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इसमें परिवार की संरचना, उसके आवासीय विवरण, परिवार के प्रत्येक सदस्य के सामाजिक एवं आर्थिक विवरणों जैसे विवरण शामिल होंगे। परिवार पहचान-पत्र डाटाबेस में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट 8-अंकीय आईडी जारी की जाती है। परिवार के सदस्य इस आईडी का उपयोग परिवार पहचान-पत्र से जुड़ी राज्य की किसी भी सेवा/योजना के लिए आवेदन करने के लिए कर सकते हैं।

करता है। लेखापरीक्षा ट्रेल के गुम होने की जांच की जानी चाहिए और उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए।

लाभार्थी के नामांकन के बाद आधार नंबर में परिवर्तन और लेखापरीक्षा ट्रेल की अनुपस्थिति इंगित करती है कि नामांकन के समय आधार के साथ लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए वैधता/सत्यापन जांच लागू नहीं की गई थी। इस प्रकार, सत्यापन जांच की कमी के कारण डाटा में संशोधन के प्रति एप्लिकेशन असुरक्षित है जिससे गलत भुगतान, लेन-देन की गलत पोस्टिंग और अंततः अर्हक खाते हो सकते हैं।

चयनित जिलों में डाटा विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 23,772 लाभार्थियों के आधार बदल दिए गए थे। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में चयनित 499[15] मामलों के साथ इसका क्रॉस सत्यापन किया गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के बाद इन मामलों में कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा से पता चला कि आधार में परिवर्तन का प्रावधान सामाजिक न्याय पोर्टल पर भी प्रदान किया गया है। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां परिस्थितियों के कारण आधार नंबर को बदलने की आवश्यकता है, इसे कड़ी प्रक्रिया और एक लेखापरीक्षा ट्रेल द्वारा समर्थित होना चाहिए।

2.9 एक ही आधार नंबर पर कई लाभार्थियों को संवितरित पेंशन

हरियाणा सरकार की दिनांक 19 अप्रैल 2011 की अधिसूचना 203-एसडब्ल्यू(4)-2011 और दिनांक 5 सितंबर 2017 की अधिसूचना संख्या 878-एसडब्ल्यू(4)-201 के अनुसार, एक व्यक्ति अधिकतम एक पेंशन/भत्ते का लाभ उठा सकता है, भले ही वह नीचे सूचीबद्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एक से अधिक योजनाओं के अंतर्गत पात्र हो:

(i) वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना।

(ii) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए हरियाणा पेंशन योजना।

(iii) हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना।

(iv) बौना भत्ता योजना।

(v) किन्नर भत्ता योजना।

(vi) कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार की दिनांक 10 जून 2011 की अधिसूचना संख्या 459-एसडब्ल्यू (4)-2011 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंक खाते पाए जाते हैं, तो उसके सभी बैंक खाते रद्द कर दिये जाएंगे। वह भविष्य

[15] अंबाला-83, कैथल-100, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-16 और यमुनानगर-100

में राज्य की किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाएगा। वास्तविक सूचना को छुपाकर या गलत दावा करके इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को हरियाणा पेंशन तथा हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अप्रैल और अक्तूबर 2017 के मध्य 12,314 आधार आईडी के साथ 25,134 लाभार्थियों को ₹ 16.17 करोड़ की पेंशन अंतरित की गई थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अप्रैल से अक्तूबर 2017 की अवधि के मध्य 14,641 लाभार्थियों (25,134 में से) को ₹ 9.32[16] करोड़ की पेंशन वितरित की गई थी, हालांकि स्थिति को गैर-मौजूद, रद्द, मृत, डुप्लिकेट, अप्राप्य, अपात्र आदि के रूप में अद्यतन किया जा रहा था और तत्पश्चात् अक्तूबर 2017 के बाद पेंशन बंद कर दी गई। ₹ 9.32 करोड़ के संवितरण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे देखे गए थे:

(क) एक ही या अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत दो या दो से अधिक लाभार्थियों को एक ही आधार आईडी पर अलग-अलग लाभार्थी पेंशन आईडी ***(परिशिष्ट-IV)*** के साथ पेंशन संवितरित की गई थी।

(ख) विभाग ने बिना[17] किसी आधार के उपर्युक्त उल्लिखित तीन योजनाओं के अंतर्गत 56 लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की।

(ग) 3,265 आधार आईडी (12,314 आधार आईडी में से) का उपयोग करते हुए 6,593 लाभार्थी पेंशन आईडी सृजित की गई और ₹ 3.94 करोड़ की राशि इन लाभार्थियों को अंतरित की गई। इन 6,593 लाभार्थी पेंशन आईडी में से 3,328 पेंशन आईडी को मृत के रूप में अद्यतित कर दिया गया था और शेष 3,265 लाभार्थी पेंशन आईडी को अभी भी पेंशन मिल रही थी। इसके परिणामस्वरूप उन 3,328 लाभार्थियों को ₹ 1.96 करोड़ की अनधिकृत पेंशन का संवितरण हुआ जिनकी स्थिति डाटाबेस में मृत के रूप में घोषित की गई थी।

(घ) ₹ 1.98 करोड़ की पेंशन 3,052 लाभार्थी पेंशन आईडी को अंतरित की गई (अप्रैल से अक्तूबर 2017 के दौरान), जो 1,524 आधार आईडी का उपयोग करके सृजित की गई थीं। इन मामलों में, एक ही आधार वाले दो या दो से अधिक लाभार्थियों के लिए लाभार्थी का नाम और उसके पिता का नाम समान था। लेखापरीक्षा में एकल लाभार्थी के अनेक लाभ प्राप्त करने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता।

---

[16] इसमें 274 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.17 करोड़ की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.10, 2.11, 2.13 और 2.14 में बताया गया है।

[17] प्रत्येक के सामने उल्लिखित आधार नंबर 9999-9999-9999 था।

(ङ) 68 लाभार्थी पेंशन आईडी को ₹ 4.51 लाख की पेंशन अंतरित की गई (34 आधार आईडी का उपयोग करके पेंशन आईडी सृजित की गई थीं), जहां दो अलग-अलग लाभार्थी पेंशन आईडी के लिए आधार और बैंक खाता संख्या समान था।

विभाग ऐसी विसंगतियों को उजागर करते हुए एक बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट रखने पर विचार कर सकता है और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण भी विकसित कर सकता है।

अक्तूबर 2017 के बाद, एक ही आधार आईडी वाले एक या एक से अधिक खातों की स्थिति को मृत के रूप बताकर बंद कर दिया गया था तथा अन्य खाते की स्थिति सामान्य है अर्थात पेंशन अब तक संवितरित की जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि आधार का उपयोग लाभार्थी की पहचान की विशिष्टता के लिए नहीं किया गया था, आईडी में दोहराव को रोकने के लिए नियंत्रण मौजूद नहीं है और सत्यापन प्रक्रिया से छेड़छाड़ की गई थी।

डाटा विश्लेषण के दौरान यह अवलोकित किया गया कि छः चयनित जिलों में 6,501 मामले (लाभार्थियों) थे जिनमें एक ही आधार पर कई लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की गई थी। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से छः चयनित कार्यालयों में 330[18] मामलों के साथ इसे क्रॉस चेक किया गया था। सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

उपर्युक्त अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि इनपुट नियंत्रण कमजोर थे जिसके परिणामस्वरूप पेंशन डाटाबेस में अपूर्ण, अनधिकृत/अप्रासंगिक और डुप्लिकेट डाटा की प्रविष्टियां हुईं। आगे, प्रलेखन की कमी के कारण, विभाग द्वारा परिकल्पित प्रणालीगत नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान देखी की गई कमियों/विसंगतियों ने दर्शाया कि प्रणालीगत नियंत्रण अधिकतर अनुपस्थित थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.10 दो योजनाओं के अंतर्गत एक साथ लाभ देकर अनुचित लाभ

हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 878-एसडब्ल्यू (4)-201 दिनांक 05 सितंबर 2017 (अधिसूचना संख्या 203-एसडब्ल्यू (4)-2011 दिनांक 19 अप्रैल 2011 के संदर्भ में) के अनुसार, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभार्थी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का एक साथ लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु तक और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद लागू है।

लाभार्थियों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजनाओं के अंतर्गत 298 लाभार्थियों को एक साथ ₹ 42.81 लाख की

[18] अंबाला-29, कैथल-80, करनाल-83, कुरुक्षेत्र-65, पंचकुला-4 और यमुनानगर-69

पेंशन अंतरित की गई। इसके परिणामस्वरूप 298 लाभार्थियों को ₹ 21.41[19] लाख का अनुचित भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि इस उद्देश्य के लिए, लाभार्थी का खाता नंबर, नाम या पिता का नाम संशोधित करके अन्य योजना के लिए नई लाभार्थी आईडी आबंटित की गई लेकिन आधार नंबर वही रहा।

चयनित जिलों में, डाटा विश्लेषण से पता चला कि दो योजनाओं के अंतर्गत एक साथ 179 लाभार्थियों को पेंशन अंतरित की गई थी। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से छः चयनित कार्यालयों में नमूना-जांच किए गए नौ[20] मामलों में इसे क्रॉस-चेक किया गया था। सत्यापन ने डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। कैथल जिले में एक मामले में ₹ 0.52 लाख की राशि वसूल की गई है। शेष 8 मामलों में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने सूचित किया कि वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर2021)।

2.11 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में लाभार्थियों की पेंशन का अंतरण

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 87 में प्रावधान है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ का अंतरण सीधे लाभार्थियों को किया जाना चाहिए। सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में चोरी और दोहराव को कम करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती स्तर को कम करने और अभिप्रेत लाभार्थियों को भुगतान में विलंब को कम करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पुनःअभियंत्रण किया जाना चाहिए।

लाभार्थी डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 9,305 लाभार्थियों (अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 के दौरान) के लिए ₹ 54.54[21] करोड़ की पेंशन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता तथा विधवा एवं निराश्रित पेंशन में अलग-अलग नामों से बैंक खाते में अंतरित की गई थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.5: अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में अंतरित पेंशन के विवरण

पेंशन	लाभार्थियों की संख्या	अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 के दौरान अंतरित राशि (₹ में)
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	6,317	37,00,10,000
विधवा और निराश्रित पेंशन	2,988	17,53,81,400
कुल	**9,305**	**54,53,91,400**

[19] इसमें 2 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.16 लाख की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.11 और 2.14 में बताया गया है।

[20] अंबाला-2, कैथल-1, करनाल-1, कुरुक्षेत्र-2, पंचकुला-0 और यमुनानगर-3

[21] इसमें 37 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.06 करोड़ की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.12 से 2.14 में बताया गया है।

यह उल्लेख करना उचित है कि मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और आधार नंबर को भी सही लाभार्थियों से नहीं जोड़ा गया है।

इसमें गबन का जोखिम शामिल है, और विभाग को ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

2.12 अपात्र लाभार्थियों को भुगतान

अधिसूचना संख्या 458ए-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार, एक व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के अनुदान के लिए पात्र है, यदि (i) व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है; और (ii) व्यक्ति हरियाणा राज्य का अधिवासी और निवासी है।

साथ ही हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 459-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार, सही जानकारी को छिपाने या गलत दावा करने पर योजना के अंतर्गत प्राप्त किसी भी लाभ को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 1,860 लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अंतर्गत नामांकित किया गया था और इन लाभार्थियों को कुल ₹ 94.25[22] लाख की पेंशन अंतरित की गई थी।

यह दर्शाता है कि नामांकन के समय वांछनीय इनपुट नियंत्रण अर्थात् लाभार्थियों की वैधता और सत्यापन अपर्याप्त थे और अपात्र लाभार्थियों का नामांकन हो रहा था।

जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः जिला कार्यालयों में 500[23] मामलों का सत्यापन किया गया। सत्यापन ने डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। करनाल जिले के 58 मामलों के संबंध में वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा 22 मामलों में ₹ 1.51 लाख की वसूली की गई। शेष 442 मामलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला और यमुनानगर के जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने बताया कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

2.13 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण

अधिसूचना संख्या 458ए-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 और अधिसूचना संख्या 308-एसडब्ल्यू(4)-2012 दिनांक 22 मार्च 2012 के अनुसार वह व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की प्रदानगी के लिए पात्र नहीं है जो किसी सरकार अथवा स्थानीय/सांविधिक निकाय या

---

22 इसमें 2 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.05 लाख की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.14 में बताया गया है।

23 अंबाला-100, कैथल-73, करनाल-100, कुरुक्षेत्र-100, पंचकुला-29 और यमुनानगर-98

किसी सरकार अथवा स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहा है।

इसके अलावा, एक पात्र महिला भी विधवा और निराश्रित महिला हरियाणा पेंशन योजना के लिए अपात्र है यदि वह किसी सरकार अथवा किसी स्थानीय/सांविधिक निकाय या किसी सरकार अथवा स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी संगठन द्वारा रोजगारप्राप्त है अथवा जो उनसे अधिसूचना संख्या 458बी-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार पेंशनभोगी परिवार पेंशन प्राप्त कर रही है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के मामले में पात्रता मानदंड अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से कम आय के लिए था।

अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए लाभार्थियों के डाटा तथा कार्यालय महानिदेशक, खजाना एवं लेखा, हरियाणा और केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सेल, भारतीय स्टेट बैंक, पंचकुला से एकत्र एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-पेंशन मॉड्यूल से पेंशनरों के डाटा (दिसंबर 2018 तक) के विश्लेषण से पता चला है कि इन तीन चयनित योजनाओं अर्थात् वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, हरियाणा विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना तथा हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित 1,475 लाभार्थी हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी थे या परिवार पेंशनभोगी थे। इन लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण उपर्युक्त उल्लिखित सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन था। इसके अलावा, यह अवलोकित किया गया था कि इन अनधिकृत व्यक्तियों को ₹ 8.60[24] करोड़ का संवितरण किया गया था, जो ब्याज सहित वसूलनीय था।

लेखापरीक्षा का मत है कि यदि अन्य एजेंसियों तथा विभाग अर्थात् केंद्र सरकार, सरकारी कंपनी, बोर्डों, स्वायत्त निकायों आदि से समान प्रकार के डाटा को व्यावसायिक बुद्धिमत्ता के अधीन किया जाए तो संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

डाटा विश्लेषण से पता चला कि चयनित छः जिलों में 485 मामले थे जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन अंतरित की गई थी। जिला समाज कल्याण कार्यालयों में से चयनित छः कार्यालयों में 26[25] चयनित मामलों में इसे वैध किया गया था। सत्यापन ने डाटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि की। कैथल जिले के पांच मामलों में ₹ 6.11 लाख की राशि वसूल की गई (चयनित नमूने से एक तथा अन्य मामलों में चार)। शेष 25 मामलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पंचकुला और यमुनानगर के जिला समाज कल्याण कार्यालयों ने सूचित किया कि सत्यापन के बाद पेंशन रोक दी गई है और वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

---

[24] इसमें 36 लाभार्थी शामिल हैं जिन्हें ₹ 0.07 करोड़ की अनधिकृत पेंशन अंतरित की गई थी जैसा कि अनुच्छेद 2.14 में बताया गया है।

[25] अंबाला-5, कैथल-5, करनाल-6, कुरुक्षेत्र-4, पंचकुला-1 और यमुनानगर-5

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने मामले को स्वीकार किया और बताया कि वसूली की जाएगी और साथ ही उदाहरणात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

2.14 पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण

सरकार की अधिसूचना संख्या 459-एसडब्ल्यू(4)-2011 दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार, यदि बैंक खाते से 60 दिनों की निरंतर अवधि तक कोई आहरण नहीं होता है तो ऐसे बैंक खाते को बैंक द्वारा इस योजना के लिए "निष्क्रिय" माना जाएगा और इस योजना के अंतर्गत लाभ का कोई और क्रेडिट नहीं होगा। ऐसे "निष्क्रिय" बैंक खातों की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जाएगी। यदि लाभार्थी उचित कारण के साथ अगले 90 दिनों के अंदर बैंक खाते के पुन:संचालन के लिए आवेदन करता है, तो निदेशक की अनुमति से बैंक खाते को फिर से चालू किया जा सकता है। यदि नहीं, तो इस योजना के प्रयोजन के लिए बैंक खाते को "डेड" घोषित कर दिया जाएगा और अंतिम आहरण के बाद बैंक खाते में जमा किए गए लाभों को अर्जित ब्याज के साथ बैंक द्वारा विभाग को वापस प्रेषित कर दिया जाएगा।

यह देखा गया था कि तीन योजनाओं अर्थात वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन तथा हरियाणा दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत ₹ 64.13 करोड़ की पेंशन 38,060 लाभार्थियों को अंतरित की गई थी, हालांकि बैंकों द्वारा उनकी स्थिति को 'पता न लगाए जाने वाले' के रूप में अपडेट किया गया था और इन लाभार्थियों ने भुगतान के लगातार 90 दिनों के बाद भी अपने बैंक खातों से पेंशन राशि आहरित नहीं की थी। इसके अलावा, यह राशि केवल 18 पेंशन संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों (63 पेंशन संवितरण बैंकों/डाकघरों में से) से संबंधित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पेंशन संवितरण करने वाले शेष 45 बैंकों/डाकघरों ने किसी लाभार्थी की पहचान और उसे 'पता न लगाए जाने वाले' घोषित करने से संबंधित कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा, पेंशन संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों द्वारा किसी लाभार्थी को 'पता न लगाए जाने वाले' घोषित करने से संबंधित कार्रवाई भी नियमित रूप से नहीं की जा रही थी।

पेंशन संवितरण करने वाले इन 18 बैंकों/डाकघरों में, आईसीआईसीआई बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने केवल एक बार अर्थात् जनवरी 2020 में कार्रवाई की। खाते को 'निष्क्रिय' घोषित करने में भी विलंब हुआ, जो 124 से लेकर 7,389 दिनों के मध्य था।

प्राधिकार-पत्र के अनुसार, असंवितरित राशि के विवरण संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों द्वारा हर माह प्रस्तुत किए जाने थे। तथापि, ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया गया था तथा विभाग ने भी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन संवितरण करने वाले बैंकों/डाकघरों के साथ किसी समझौता शपथ-पत्र अथवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि बैंकों से ₹ 228 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। हालांकि, जिन लाभार्थियों से राशि की वसूली की गई है, उनके विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया था।

2.15 अपूर्ण लिगेसी डाटा की पोर्टिंग

लिगेसी डाटाबेस एक पुराना अभिलेख है जो लिगेसी अभिलेखों से मिलता है तथा विभागीय निर्णयों के लिए आधार भी बनाता है। डुप्लीकेट अभिलेखों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लिगेसी अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य एक महत्वपूर्ण पहलू था और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रणाली में पूर्ण और सही जानकारी दर्ज की जाए क्योंकि इसका उपयोग वांछित लाभार्थियों को लाभ के संवितरण के लिए लंबे समय तक किया जाएगा।

लिगेसी डाटा की सही पोर्टिंग के बारे में आश्वासन के अभाव में लेखापरीक्षा पुराने अभिलेख की कुल वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकी। तथापि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियां अवलोकित कीं:

2.15.1 लिगेसी डाटा में नामांकन तिथि को पोर्ट न करना

लाभार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि पोर्ट किए गए 21,99,374 लाभार्थियों का डाटा अधूरा था। पुराने लिगेसी अभिलेखों से डिजिटाइज़ किए गए लिगेसी डाटा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य फ़ील्ड यानी 'नामांकन तिथि' को डाटाबेस में 'शून्य' के रूप में दिखाया गया था। प्रविष्टि/नामांकन तिथि यह जानने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है कि लाभार्थी ने लाभ प्राप्त करने के लिए कब नामांकन कराया था।

2.15.2 लिगेसी डाटा में गलत उम्र

चयनित तीन योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और राज्य द्वारा इन योजनाओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार इस खर्च की प्रतिपूर्ति द्विवार्षिक किश्तों (वर्ष में दो बार) में करती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की उप-योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंड और सहायता के पैमाने निम्नानुसार हैं:

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष से 79 वर्ष के मध्य के व्यक्तियों के लिए पेंशन ₹ 200 प्रति माह है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन ₹ 500 प्रति माह है।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: पात्र आयु 40 वर्ष है तथा पेंशन ₹ 300 प्रति माह है। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को ₹ 500 प्रति माह मिलेगा।

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना: पेंशनभोगी के लिए पात्र आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है तथा दिव्यांगता स्तर 80 प्रतिशत होना चाहिए। यह राशि ₹ 300 प्रति

माह है और 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को ₹ 500 प्रति माह मिलेगा। बौने भी इस पेंशन के लिए पात्र होंगे।

केंद्र सरकार के हिस्से के अलावा, राज्य सरकार भी अपना हिस्सा प्रदान करके लाभार्थी को लाभ पहुंचाती है। चूंकि राज्य सरकार को अपने लाभार्थी की आयु के बारे में पता नहीं है, तो केंद्र सरकार से राशि की प्रतिपूर्ति की मांग भी त्रुटिपूर्ण होगी जो राज्य सरकार के लिए एक हानि है।

एक व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के अनुदान के लिए पात्र है यदि वह व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। इसी प्रकार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का कोई दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग पेंशन तथा कोई महिला विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के अनुदान के लिए पात्र होगी।

चयनित योजनाओं के आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला कि 15,646 मामलों में महत्वपूर्ण अनिवार्य फ़ील्ड जैसे जन्म तिथि और आयु 'शून्य' थी अथवा गलत प्रविष्ट की गई थी (जैसे 0 या 120 वर्ष से अधिक 2,068 वर्ष तक)। 15,646 लाभार्थियों में से 3145 लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन नामांकन से संबंधित थे जिसमें आयु क्षेत्र में डाटा गलत तरीके से प्रविष्ट किया गया था (60 वर्ष से कम या 120 वर्ष से अधिक) और दिव्यांग पेंशन तथा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के संबंध में शेष 12,501 लाभार्थियों के आयु क्षेत्र को डाटाबेस में 'शून्य' के रूप में अद्यतित किया गया था।

यदि आयु 60 वर्ष से कम के रूप में ली गई थी तो व्यक्ति वृद्धावस्था सम्मान भत्ता में नामांकन के लिए पात्र नहीं था और यदि इसे 120 वर्ष से अधिक के रूप में लिया गया था तो यह जांच का विषय है लेकिन पूर्ण डिजिटलीकरण के 39 माह बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा इन मामलों में कोई सुधार/जांच नहीं की गई है। आयु क्षेत्र में गलत प्रविष्टि से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के संबंध में केंद्र सरकार से लगातार गलत प्रतिपूर्ति होगी।

2.15.3 मास्टर डाटाबेस से लाभार्थियों के मिसिंग रिकॉर्ड

लाभार्थी डाटा के विश्लेषण में यह पता चला कि 327 लाभार्थी आईडी के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल डाटा डंप में मौजूद थे लेकिन इन आईडी से संबंधित कोई रिकॉर्ड मास्टर डाटा टेबल (लाभार्थी तालिका) में मौजूद नहीं था। इसलिए, इन लाभार्थियों के बारे में जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, बैंक खाता नंबर आदि के साथ-साथ उन्हें किए गए भुगतान, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: लाभार्थियों के गुम अभिलेखों का विवरण

लाभार्थी आईडी की संख्या	ऑडिट ट्रेल्स में विवरण	टिप्पणियां
186	ऑडिट ट्रेल्स में प्रत्येक आईडी के सामने दो प्रविष्टियां, एक प्रविष्टि के लिए और दूसरी हटाने के लिए	इन आईडी के लिए मास्टर डाटाबेस में लाभार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला

लाभार्थी आईडी की संख्या	ऑडिट ट्रेल्स में विवरण	टिप्पणियां
16	ऑडिट ट्रेल्स में प्रत्येक आईडी के सामने केवल एक प्रविष्टि अर्थात रिकॉर्ड को हटाने के लिए	इन आईडी के लिए मास्टर डाटाबेस में लाभार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला
125	ऑडिट ट्रेल्स में प्रत्येक आईडी के सामने एक प्रविष्टि, प्रविष्टि रिकॉर्ड डालने के लिए है	इन आईडी के लिए मास्टर डाटाबेस में लाभार्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लाभार्थी और उन्हें किए गए भुगतान की जानकारी का पता नहीं चल सका।
327	**कुल लाभार्थी आईडी**	

ऑडिट ट्रेल्स के अभाव में, डाटाबेस में अनधिकृत परिवर्तन से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे गलत भुगतान हो सकता है।

2.15.4 मास्टर डाटाबेस में लाभार्थी आईडी अनुक्रम में अंतराल

आबंटित लाभार्थी आईडी अर्थात् लाभार्थी आईडी 3,871 से 3,934; 8,472 से 9,990; 4,38,109 से 4,39,430 तक के क्रम में अंतराल देखे गए थे जो मास्टर डाटाबेस में मौजूद नहीं थे। हालांकि, इन अंतरालों से पहले और बाद में लाभार्थी आईडी अन्य लाभार्थियों को आबंटित की गई थी। कई मामलों में, लाभार्थी आईडी में 1 या 2 आईडी का अंतराल भी पाया गया था।

इसके अलावा, लाभार्थी आईडी में भी महत्वपूर्ण अंतराल पाए गए। लाभार्थी आईडी 35,48,907 से 50,00,000 (14,51,094 आईडी की अनुपस्थिति), 25,83,454 से 26,55,133 (71,680 आईडी की अनुपस्थिति) तथा 33,50,818 से 33,77,769 (26,952 आईडी की अनुपस्थिति) तक के अनुक्रम में अंतर अवलोकित किया गया था।

सूचना और प्रणाली प्रलेखन के अभाव में, लेखापरीक्षा अपेक्षित आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि यह अंतर लिगेसी डाटा की पोर्टिंग के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुआ था।

2.16 सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति का अभाव

किसी भी अच्छी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को विशेष रूप से विशिष्ट क्षेत्रों जैसे परिसंपत्ति वर्गीकरण, डाटा सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, भौतिक, तार्किक एवं पर्यावरण सुरक्षा, संचार सुरक्षा, कानूनी, नियामक एवं संविदात्मक अपेक्षाओं, सतत व्यवसाय आयोजना, सुरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण, सुरक्षा उल्लंघन का पता लगाने एवं रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, प्रवर्तन प्रावधानों का उल्लंघन, आदि के लिए न्यूनतम मानकों और अनुपालन आवश्यकताओं को इंगित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति निर्धारित करनी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी डाटा सुरक्षा, निजता, गोपनीयता और संरक्षण पर राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य को अपनी परिसंपत्तियों के उचित जोखिम स्तर और रखरखाव आवश्यकताओं को निर्धारित करने और तदनुसार राज्य की सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए सुरक्षा मुद्रा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग के पास कोई भी विश्वसनीय सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति नहीं थी। समीक्षा नीति, आवधिक समीक्षा', बैठक के कार्यवृत्त आदि के दस्तावेज अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

2.17 उपयोगकर्ताओं/कर्मचारियों को प्रशिक्षण का अभाव

कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास कर्मचारी संसाधन आयोजना से निकटता से जुड़े हुए हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि रोल आउट के समय स्टाफ को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था और कोई आवधिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

2.18 व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा वसूली योजना न होना

व्यावसायिक निरंतरता तथा आपदा वसूली आयोजना और संबंधित नियंत्रण रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी रुकावट अथवा आपदा की स्थिति में कंप्यूटर सुविधाओं के अस्थायी अथवा स्थायी नुकसान की स्थिति में भी संगठन अपने मिशन को पूरा कर सकता है और यह अनुरक्षित ससूचना को प्रसंस्कृत करने, पुन:प्राप्त करने तथा संरक्षित करने की क्षमता नहीं खोएगा।

निरंतरता तथा आपदा वसूली आयोजनाओं का प्रलेखन, समय-समय पर परीक्षण तथा आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना चाहिए। बैक-अप को कई पीढ़ियों द्वारा उदाहरणार्थ दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक टेपों का उपयोग करके चलते रहना चाहिए। बैकअप को आपदा पुनर्प्राप्ति आयोजना तथा प्रणाली प्रलेखन की एक प्रति के साथ आग से सुरक्षित अन्य स्थल पर संग्रहित किया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपर्युक्त आवश्यकता के अनुपालन को दर्शाने वाला कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.19 कमजोर पहुंच नियंत्रण

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सुरक्षा नियंत्रणों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश (जनवरी 2010) में गुणवत्ता प्रमाणीकरण गुप्त शब्द अथवा वाक्यांश (पासवर्ड) के उपयोग पर जोर देता है। दिशानिर्देश में परिभाषित सुरक्षा नियंत्रणों में प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश ई-गवर्नेंस के लिए सूचना प्रणाली में उपयोग के लिए अनुशंसित हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम पासवर्ड की आयु क्रमशः एक दिन और 30 दिन (आमतौर पर) होनी चाहिए। ये दिशानिर्देश पासवर्ड की जटिलताएं, प्रथम उपयोग पर तथा विशिष्ट अवधि के बाद पासवर्ड परिवर्तन, पासवर्ड के पुन:उपयोग पर प्रतिबंध आदि की अनुशंसा करते हैं।

यह अवलोकित किया गया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा कोई पासवर्ड नीति नहीं बनाई गई थी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)। हालांकि, जिला समाज कल्याण अधिकारी, करनाल, कैथल तथा यमुनानगर ने बताया कि अभ्युक्ति को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

2.20 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में मिसिंग ऑडिट ट्रेल्स

लेखापरीक्षा ट्रेल हार्ड कॉपी में या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला है जो उपयोगकर्ता गतिविधि तथा अन्य घटनाओं का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक विशिष्ट लेन-देन प्रारंभ, प्रसंस्कृत और सारांशित किया गया था तथा लेन-देन के इतिहास, प्रणाली की कमियों, गलत लेन-देन, डाटा में परिवर्तन/आशोधन आदि को ट्रैक करने के लिए आवश्यक है। प्रणाली को व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान होने वाली प्रत्येक घटना की तारीख और समय के साथ विभिन्न घटनाओं के लॉग रिकॉर्ड करने में सक्षम होना चाहिए।

लाभार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 5,55,807 (40,07,597 लाभार्थियों की आईडी में से) लाभार्थी आईडी से संबंधित ऑडिट ट्रेल्स उपलब्ध कराए गए डाटा में मौजूद नहीं थे। लेखापरीक्षा ट्रेल के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कब या किस विभाग के उपयोगकर्ता द्वारा और किस आईपी पते से इन लाभार्थियों को नामांकित किया गया था।

इसके अलावा, ऑडिट ट्रेल्स में 1,183 अंतराल (लाभार्थी आईडी अनुक्रम में) पाए गए जिसमें 38,033 मदें/प्रविष्टियां/लेन-देन गायब थे। अपर्याप्त नियंत्रणों के कारण एप्लिकेशन प्रोग्राम/डाटा में अनधिकृत आशोधनों के प्रति संवेदनशील है। साथ ही इससे गलत भुगतान, भ्रामक रिपोर्ट, लेन-देन की गलत पोस्टिंग और अंततः अर्हता-प्राप्त खाते हो सकते हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मामले पर चर्चा की गई और यह राय दी गई कि विभाग द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।

2.21 एक ही दिन में अनेक लाभार्थियों का अनुमोदन

ई-दिशा पोर्टल पर निर्धारित प्रणाली के अनुसार, आवेदक आवेदन-पत्र सरल पोर्टल/विभाग की वेबसाइट आदि से प्राप्त करते हैं और भरे हुए फॉर्म को आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ सरपंच/नगर पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित किया जाता है। इसके बाद, आवेदकों के विवरण और आवेदन-पत्र की स्कैन की गई प्रति को सरल पोर्टल पर अंत्योदय/सामान्य सेवा केंद्र ऑपरेटरों/स्वयं आवेदकों द्वारा ऑनलाइन मोड द्वारा अपलोड किया जाना है और जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा 'व्यू मोड' में आवेदन प्राप्त करने के बाद, आवेदन सत्यापन के लिए चिह्नित किया जाता है। आवेदन-पत्र और सहायक दस्तावेजों के साथ भौतिक सत्यापन के लिए आवेदक को ब्लॉक स्तरीय कार्यालय (जिला समाज कल्याण कार्यालय) जाना होता है। सत्यापन के बाद, जिला समाज कल्याण कार्यालय आवेदन को अनुमोदित करता है और आवेदकों को पेंशन आईडी प्रदान करता है। वेब इनेबल्ड एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से पेंशन पोर्टल में अनुमोदित लाभार्थियों का डाटा दर्ज किया जाता है। पेंशन संवितरण अगली आने वाली नियमित पेंशन के साथ शुरू किया जाता है।

लाभार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि फरीदाबाद जिले में एक ही दिन (11 फरवरी 2020) में जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा 3,135 लाभार्थियों को अनुमोदित किया गया था। इसी तरह, संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय पलवल, सिरसा, सोनीपत और जींद जिलों द्वारा एक ही दिन में क्रमश: 1,206, 1,035, 1,297, 1,147 लाभार्थी मामलों को अनुमोदित किया गया। उपर्युक्त अनुमोदनों को चिंता के विषय के रूप में देखा गया है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग का मत था कि एक ही दिन में इतनी अधिक मात्रा में अनुमोदन के कारणों के बारे में संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों से पूछताछ की जा सकती है।

2.22 बैंकों और डाकघरों को कमीशन का अनियमित भुगतान

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या 32 (07)/पीएफ-II 2011 (खंड II) (पीएफ-II डिवीजन) दिनांक 26 फरवरी 2016 के अनुसार, सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेन-देन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से किए जाने चाहिएं। मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के परिपत्र के अनुसार प्रायोजक बैंकों, गंतव्य संस्थाओं और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मध्य साझा किए जाने वाले प्रत्येक लेन-देन के लिए ₹ 0.50 की लेन-देन लागत देय होगी। इसके अलावा, कार्यालय ज्ञापन फाइल संख्या 32(07)/पीएफ-II 2011 वॉल्यूम II दिनांक 01 जून 2016 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं से संबंधित लेन-देनों के प्रभारों के संबंध में, मौजूदा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम परिपत्र के अनुसार लेन-देन प्रभार लागू होंगे, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2015-16 के लिए सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेन-देन के लिए, अपने दावों के निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क कर सकता है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से रूट नहीं किए गए थे, लेन-देन प्रभार केवल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम दर की सीमा तक दावेदार प्रायोजक बैंकों को देय होंगे। 31 मार्च 2016 के बाद, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/एलपीजी हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेन-देन जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से नहीं किए गए थे लेन-देन प्रभार या कैश आउट प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत बैंकों और डाकघरों के माध्यम से लाभ अंतरित किया। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत सभी भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से किए जाने चाहिए और इसके लिए प्रत्येक लेन-देन के लिए ₹ 0.50 देय था, जिसे प्रायोजक बैंक गंतव्य संस्थाओं तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मध्य साझा किया जाना था। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया था कि 31 मार्च 2016 के बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से रूट न किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेन-देन, लेन-देन प्रभार अथवा नकद प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

विभाग ने अप्रैल 2016 और जुलाई 2020 के मध्य की अवधि के दौरान बैंकों और डाकघरों को योजनाओं के अंतर्गत अंतरित कमीशन के रूप में ₹ 38.05 करोड़ का भुगतान किया, जो भारत

सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन था क्योंकि सभी संबंधित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को शामिल किए बिना किए गए थे और इस प्रकार नियम के विरुद्ध थे। इसके अलावा, अभिलेखों में बैंकों/डाकघरों और विभाग के मध्य कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं पाया गया।

2.23 राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर बचत डाटा का अद्यतन न होना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, भारत सरकार द्वारा जारी "आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कारण लाभों का आकलन करने के लिए" दिशानिर्देशों/पद्धति के अनुसार, जिसमें परिकल्पना की गई है कि 'बचत संबंधी डाटा' मासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन/राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष को सूचित किया जाना चाहिए। यदि कोई मंत्रालय/विभाग आवधिकता से विचलित होने का प्रस्ताव करता है तो उन्हें मामले को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन/राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के पास भेजना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 201.33 करोड़ की बचत राशि का निर्धारण किया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के अभिलेखों की संवीक्षा करते समय यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के संबंध में बचत का डाटा राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष पर अपलोड नहीं किया गया था। यह उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

2.24 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गतयोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा न करना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि ग्राम सभा/वार्ड समिति द्वारा प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार सभी योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए ग्राम सभा/वार्ड समिति को एक सामाजिक लेखापरीक्षा समिति का चुनाव करना होगा जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक योजना के कम से कम दो लाभार्थी शामिल होंगे, जिनमें से एक महिला होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लाभार्थियों का भी प्रतिनिधित्व हो।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ऐसी कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

2.25 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने अपात्र लाभार्थियों (मृतक, कम उम्र या अन्य योजनाओं में नामांकित) का नामांकन और भुगतान, एक ही आधार आईडी के अंतर्गत या आधार आईडी के बिना नामांकित कई लाभार्थी, लाभार्थियों के खाते के अलावा अन्य खाते में लाभ के अंतरण जैसी कमियों को अवलोकित किया। यह न केवल अपर्याप्त नियंत्रण बल्कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी सत्यापन और निगरानी की कमी को दर्शाता है।

एप्लिकेशन में डाटा की अखंडता पर सवाल उठाने वाले उदाहरण थे जैसे मिसिंग ऑडिट ट्रेल्स, लाभार्थी डाटा और पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों को पेंशन का संवितरण।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की आयोजना और कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था और यह आश्वासन कि प्रणाली अपने उद्देश्यों को पूरा करती है, पूर्ण प्रलेखन के अभाव के कारण लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं किया जा सका। डाटा के विश्लेषण ने विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का अननुपालन दर्शाया, जैसा कि निष्कर्षों में वर्णित है कि प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप में अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं है और दोहराव एवं गलत भुगतान के जोखिम को कम करने में असमर्थ है।

2.26 सिफारिशें

- सही लाभार्थियों के खातों में भुगतान के अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार आधार पोर्टल के साथ लिगेसी लाभार्थियों के आधार नंबर के प्रमाणीकरण के लिए उचित प्रणाली विकसित कर सकती है।
- सरकार/विभाग इसकी पूर्णता, प्रामाणिकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लिगेसी डाटा सहित लाभार्थियों के डाटा की व्यापक समीक्षा कर सकता है।
- सरकार/विभाग लाभार्थियों के आवेदनों की संवीक्षा, वैधता और सत्यापन प्रक्रिया और लाभ के सही खाते में अंतरण के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करे। राज्य पेंशनभोगी डाटाबेस तक पहुंच प्राप्त की जानी चाहिए और लाभार्थियों के नामांकन से पहले क्रॉस सत्यापन किया जाए।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अलावा सॉफ्टवेयर को विभिन्न एजेंसियों से जोड़कर मृत व्यक्तियों को पेंशन के संवितरण से बचा जाना चाहिए। लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से वित्तीय सहायता के भुगतान जैसी सूचना प्रसारित करने की प्रणाली पर विचार किया जाना चाहिए।
- सरकार प्रभावी निर्णय लेने और पर्यवेक्षण के लिए वास्तविक समय निगरानी तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है। यह पता न लगाए जाने वाले लाभार्थियों के संबंध में पेंशन की असंवितरित राशि का आकलन करने और अनधिकृत लाभार्थियों की पेंशन बंद करने और इन मामलों में विभाग के खाते में राशि वापस करने और लाभार्थियों को नियमित एसएमएस द्वारा जानकारी के लिए सूचना प्रणाली विकसित करने में सहायता करेगा।
- राज्य सरकार सभी लागू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं, लाभार्थियों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के बाद अर्जित बचत की पहचान और बोर्डिंग के लिए उचित प्रणाली विकसित करे।

- राज्य सरकार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद पात्र लाभार्थियों के नामांकन को सक्षम करने के लिए तंत्र विकसित करे और उपयुक्त व्यवसाय पुन:अभियंत्रण प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए।
- राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता के लिए जिम्मेदारी तय करने के अलावा सहायता के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली को प्रभावित करने के लिए सख्त प्रयास कर सकती है।
- जब भी किसी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का विकास या अद्यतनीकरण किया जाता है, विभाग अपेक्षित दस्तावेज (उपयोगकर्ता अपेक्षिता विनिर्देश, प्रणाली अपेक्षिता विनिर्देश, आदि) की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की कार्यात्मक अपेक्षिता की लेखापरीक्षा भी समय-समय पर की जा सकती है।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की आधारभूत संरचना, संगठन और प्रबंधन

अध्याय 3

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की आधारभूत संरचना, संगठन और प्रबंधन

3.1 सभी विभागों की सभी योजनाओं पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन न होना

राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के समन्वय की दिशा में कार्य करेगा। राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए कक्ष एक नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करेगा। चूंकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक ऐसे वातावरण में कार्य करता है जिसमें कई हितधारक शामिल हैं, इसलिए कक्ष ऐसे सभी हितधारकों के साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में योजनाओं के निर्बाध संक्रमण हेतु संपर्क करने के लिए जिम्मेदार होगा। राज्य स्तरीय कक्ष, विकेंद्रीकृत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण वास्तुकला के एक भाग के रूप में, देश में सरकारी लाभों की प्रभावी प्रदानगी को प्राप्त करने में योगदान देगा:

- केंद्र/मंत्रालयों के साथ समन्वय करना और राज्यों के संबंधित विभागों को निर्देशों का प्रसार करना।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित डाटा को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए योजना/विभाग-विशिष्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एप्लिकेशनों का विकास करना।
- अपेक्षित परिणामों की तुलना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित संकेतकों पर विभिन्न विभागों की प्रगति पर बारीकी से निगरानी और मूल्यांकन करना।
- लाभ प्रदानगी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को शामिल करना।
- बहु-पक्षीय एजेंसियों और परामर्श फर्मों के तकनीकी और उद्योग ज्ञान का लाभ लेने के लिए उनके साथ साझेदारी करना।

आगे, भारत सरकार ने 2017-18 में केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तर्ज पर राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से राज्य क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं की पहचान और ऑन-बोर्डिंग के संबंध में निर्देश जारी किए।

हरियाणा राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष का गठन 13 जून 2016 को किया गया था और यह विभिन्न केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को कार्यान्वित करने वाले विभागों के साथ समन्वय करता है। नई योजना की पहचान की प्रक्रिया के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते विभाग नई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की पहचान करता है जिसे संबंधित विभाग के अनुरोध पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 135 योजनाओं वाले 25 विभागों से संबंधित डाटा कार्यान्वयन विभागों द्वारा अपलोड किए गए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हरियाणा राज्य में विद्यमान 53 विभागों में से शेष विभागों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं की पहचान अभी भी लंबित थी (जुलाई 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष ने बताया कि योजनाओं की पहचान के लिए विभागों से लगातार जांच की जा रही है.

3.2 सलाहकार बोर्ड की त्रैमासिक बैठक का आयोजन न करना

हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 सितंबर 2016 के अनुसार, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष नकद अंतरण के सुचारू रोल-आउट को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले विषय इस प्रकार थे:

- सभी योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड में परिवर्तित करने की समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए त्रैमासिक आधार पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना;
- नए विचारों का आरंभ करना जिससे अधिक प्रभावी तरीके से लाभ पहुंचाने में मदद हो सके;
- प्रत्येक विभाग की प्रत्येक योजना के संबंध में बैंक खातों में आधार सीडिंग की दर की समीक्षा करना;
- डाटा के डिजिटलीकरण की समीक्षा करना;
- डाटा बेस को सुव्यवस्थित करना और अंतत: इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल के साथ जोड़ना; तथा
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल के कारण राज्य को वापस की गई उपार्जित बचत की प्राप्ति।

प्रत्येक विभाग में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रक्रिया को अपनाने और समझने में सक्षम बनाने हेतु राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने प्रोटोकॉल दस्तावेज जारी किया गया था (जून 2017) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ढांचे को अपनाया गया था।

अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक 30 जून 2017 को हुई थी और इसके बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के कार्यकारी निकाय को दीर्घकालिक, व्यापक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करने, अधिक कुशल ढंग से लाभ पहुंचाने के नए तरीके को शुरू करने में सलाहकार बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तथापि, इसके गठन के बाद से बोर्ड की केवल एक बैठक आयोजित की गई थी। यह इंगित करता है कि बोर्ड परिकल्पना के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि कोविड महामारी के कारण बैठकें समय पर नहीं हो सकीं। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड महामारी मार्च 2020 के दौरान शुरू हुई थी लेकिन जून 2017 से कोई त्रैमासिक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

3.3 राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का डाटा साझा न करना

(क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सरकार द्वारा लोगों को बेहतर और समय पर लाभ सुनिश्चित करने की भारत सरकार की प्रमुख सुधार पहल है। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवा प्रदानगी में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण एक महत्वपूर्ण शासकीय सुधार है।

अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह दावा किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को कार्यान्वित करके 25 में से सात[1] विभागों में ₹ 1,182.18 करोड़ की बचत की गई है। तथापि, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और माध्यमिक शिक्षा विभागों ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान बचत की गणना नहीं की थी। इसी प्रकार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए बचत की गणना नहीं की गई है। यह भी देखा गया था कि 25 में से 18 विभागों ने 2014-15 से बचत आंकड़ों की गणना नहीं की। आगे, योजनावार बचत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के पास संबंधित विभागों द्वारा अपलोड की गई बचत जानकारी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कोई पद्धति उपलब्ध नहीं है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान 11 योजनाओं में ₹ 382.78 करोड़ का वितरण/संवितरण किया, जिन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर ऑन-बोर्ड किया गया था। एक योजना (2019-20) में ₹ 382.78 करोड़ में से सिर्फ ₹ 1.21 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से वितरित किए गए थे। शेष ₹ 381.57 करोड़ 10 योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में लागू किए बिना वितरित किए गए थे, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष ने उत्तर दिया (जुलाई 2021) कि मासिक आधार पर बचत/लाभ की गणना और रिपोर्टिंग के लिए विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। बचत की गणना के लिए विभागों ने अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष ने यह भी बताया कि कृषि विभाग ने राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर ग्यारह योजनाओं को अपलोड/नामांकित किया लेकिन कोई जानकारी प्रदान नहीं की

[1] प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और ग्रामीण विकास।

और कई बार सूचित करने के बावजूद भी राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं किया।

(ख) हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या टीए-एचआर (डीएमसी)/2020/1768 दिनांक 6 फरवरी 2020 के अनुसार "मुख्य मंत्री परिवार समृद्धि योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई। राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त विभाग, हरियाणा सरकार नोडल प्राधिकरण था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विचाराधीन योजना जनवरी 2021 तक चालू नहीं की गई थी। तथापि, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष ने इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, भारत सरकार के साथ मामले को आगे नहीं बढ़ाया। यह इंगित करता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर नई योजनाओं की तलाश और शुरु करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार नहीं किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष व्यापक लिस्टिंग सुनिश्चित करने हेतु माध्यमिक अनुसंधान के संचालन सहित योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची तैयार करने के लिए सभी विभागों के साथ समन्वय करने में विफल रहा।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष ने बताया (जुलाई 2021) कि योजनाओं के संबंध में हरियाणा के आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग से जानकारी मांगी गई थी, उस समय, विचाराधीन योजना अस्तित्व में नहीं थी। अब, योजना को राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर ऑन-बोर्ड कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए डाटा अपलोड किया गया है।

3.4 सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल न करना

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन द्वारा जारी राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के दिशा-निर्देशों के उद्देश्य के अनुसार कैबिनेट सचिवालय, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष देश में सरकारी लाभों की प्रभावी प्रदानगी को प्राप्त करने में योगदान देगा:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित डाटा को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए योजना/विभाग-विशिष्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन का विकास करना;
- लाभ प्रदानगी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को शामिल करना; तथा
- बहु-पक्षीय एजेंसियों और परामर्श फर्मों के साथ साझेदारी करके उनके तकनीकी और उद्योग ज्ञान का लाभ उठाना।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के अधिकारियों ने लेखापरीक्षा की अवधि अर्थात 2017-18 से जुलाई 2020 के दौरान चंडीगढ़ में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में केवल एक कार्यशाला में भाग लिया (मार्च 2017)। यह भी पाया गया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा कोई केंद्रीकृत विशिष्ट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन नहीं अपनाया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची तैयार

करने में सभी विभागों के साथ समन्वय करने में विफल रहा और विभिन्न विभागों ने अंतिम लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन के विभिन्न तरीकों को अपनाया। आगे यह भी पाया गया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा बहुपक्षीय एजेंसियों और परामर्श फर्मों के साथ उनके तकनीकी और उद्योग ज्ञान का उपयोग करने के लिए कोई साझेदारी नहीं की गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान यह बताया गया था कि वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन में हरियाणा को भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

3.5 निधियों के अंतरण के संबंध में निर्देश की अनुपालना न करना

राज्य के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेनदेन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से किए जाने हैं। जबकि आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेनदेन को आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से रूट किया जाएगा, गैर-आधार लेनदेन को नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के माध्यम से रूट किया जाएगा। भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन एवं सहयोग से की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कई सेवाएं जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, चेक क्लियरिंग, तत्काल भुगतान सेवा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, रुपे कार्ड आदि प्रदान करता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों को इस उल्लेख के साथ निधियों के अंतरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे कि निधियों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से और आधार से जुड़े बैंक खातों में अंतरित किया जाए। यदि किसी भी मामले में, निधियां सीधे लाभार्थी (जैसे संस्थानों के मामले में) के बजाय दूसरे के खाते में अंतरित की जानी है, तो इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा संबंधित मंत्रालय/भारत सरकार या वित्त विभाग हरियाणा सरकार, जैसा भी मामला हो से अनुमति ली जाए और यह खजाना अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मामलों में विभागों द्वारा आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इसके अलावा, यदि तीन प्रयासों के बाद भी लाभार्थियों को धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो असंवितरित धनराशि को संबंधित विभाग के प्राप्ति शीर्ष में तुरंत जमा किया जा सकता है। आधार अधिनियम से गलत भुगतान और विचलन की संभावना से बचने हेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से संवितरित और खजाना से निकाली गई राशि का योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय से मिलान होना चाहिए और इसे मासिक आधार पर हरियाणा राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर दर्शाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि हरियाणा राज्य में सभी योजनाओं में निधियों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से रूट नहीं किया गया तथा आधार से जुड़े बैंक खातों में

नहीं भेजा गया था और संबंधित विभागों में लाभार्थियों की ओर निधि प्रवाह के प्रमाणीकरण के लिए राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा कोई निगरानी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी। यह सरकार के उपर्युक्त वर्णित निर्देशों का उल्लंघन था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष द्वारा बताया गया कि विभाग राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में एक ही कॉलम में व्यय को अपलोड करते हैं जिसमें आधार पेमेंट ब्रिज, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमैंट और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम शामिल हैं। राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से अंतरित निधियों के विभाजन के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि राज्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल का प्रारूप प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से किए गए आधार आधारित भुगतान ट्रेजरी आधारित सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

3.6 निष्कर्ष

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सभी विभागों और योजनाओं में कार्यान्वित नहीं किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष की स्थापना के बाद सलाहकार बोर्ड की केवल एक बैठक (30 जून 2017 को) हुई और आगे कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष व्यापक लिस्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक अनुसंधान के संचालन सहित योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची तैयार करने में सभी विभागों के साथ समन्वय करने में विफल रहा। विशिष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष को बचत की समग्र जानकारी नहीं मिल सकी।

3.7 सिफारिशें

- राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पोर्टल पर सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू योजनाओं की पहचान और बोर्डिंग के लिए उचित तंत्र विकसित कर सकती है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष यह सुनिश्चित करे कि दिशानिर्देशों में परिकल्पना के अनुसार समय-समय पर सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित की जाती है।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली को अपग्रेड किया जाना चाहिए और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रणाली के माध्यम से सभी प्रासंगिक जानकारी निकाली जा सके। वर्तमान में, लिगेसी डाटा के संबंध में केवल कुछ डाटासेट उपलब्ध हैं।

अध्याय 4

निष्कर्ष

अध्याय 4

निष्कर्ष

(क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंध में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि न तो विभाग और न ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एप्लिकेशन के लिए कोई प्रणाली डिजाइन प्रलेखन तैयार किया या तैयार करना सुनिश्चित किया। परिणामस्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में व्यवसाय नियमों के सही ढंग से मानचित्रण के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है और विभिन्न कमियां देखी गईं जैसे कि मृत पेंशनभोगियों का नामांकन और उनको पेंशन का भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए नामांकित 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नामांकन, एक ही व्यक्ति कई योजनाओं के अंतर्गत नामांकित, एकल आधार आईडी के अंतर्गत नामांकित कई व्यक्ति, लाभार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति के खाते में लाभ का हस्तांतरण। यह इंगित करता है कि न केवल उपयुक्त और पर्याप्त नियंत्रणों का अभाव था बल्कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन और निगरानी का भी अभाव था।

डाटा की सत्यनिष्ठा संदिग्ध बनी रही क्योंकि ऑडिट ट्रेल्स और लाभार्थियों के डाटा की कमी देखी गई थी।

निधि के प्रवाह का पता लगाने के लिए नियंत्रणों की कमी के कारण अप्राप्य लाभार्थियों से संबंधित पेंशन राशि विभाग को वापस नहीं भेजी गई थी।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संवितरण के एवज में बैंकों/डाकघरों को कमीशन का अनियमित भुगतान किया गया। कमीशन की शर्तों को औपचारिक रूप देने वाले बैंकों/डाकघरों और विभाग के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

पासवर्ड नीति की कमी ने प्रणाली में अनधिकृत पहुंच को सुगम बना दिया। आपदाओं के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों की देखभाल के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना विकसित नहीं की गई थी।

प्रणाली की ऑन-बोर्डिंग के बाद, प्रणाली में विचलित लेन-देनों/कमियों की पहचान के लिए व्यवसायिक ज्ञान का उपयोग नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की योजना और कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था, डाटा विश्लेषण ने परिणामों में वर्णित अनुसार विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन न करना दर्शाया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

लेखापरीक्षा स्वयं को आश्वस्त नहीं कर सकी कि अनधिकृत संचालन को रोकने या निषिद्ध लेन-देनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा विश्लेषण ने त्रुटिपूर्ण सत्यापन और निगरानी को इंगित किया।

(ख) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के संबंध में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सभी विभागों और योजनाओं में लागू नहीं किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष की स्थापना के बाद सलाहकार बोर्ड की केवल एक बैठक (30 जून 2017 को) आयोजित की गई थी और आगे कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष व्यापक सूचीकरण सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक अनुसंधान के संचालन सहित योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची तैयार करने में सभी विभागों के साथ समन्वय करने में विफल रहा। राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू होने के बाद विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष बचत की पूरी तस्वीर प्राप्त नहीं कर सका।

उपर्युक्त बिन्दुओं को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त एवं योजना विभाग को टिप्पणियों एवं उत्तरों के लिए संदर्भित किया गया है (सितंबर 2021)। सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

विशाल बंसल

चण्डीगढ़ **(विशाल बंसल)**

दिनांक: 08 अप्रैल 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 21 अप्रैल 2022 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2(क); पृष्ठ 15)

भुगतान स्थिति क्षेत्र

मार्च 2017 से जुलाई 2020 तक अंतरित पेंशन राशि की योजना एवं वर्षवार स्थिति												
वर्ष	प्रतिक्रिया प्रकार	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	विधवा पेंशन	दिव्यांग भत्ता	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता	कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता	तेजाब हमले से पीड़ित पुरुष एवं किन्नर को वित्तीय सहायता	स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता	बौने को भत्ता	किन्नर को भत्ता	तेजाब हमले से पीड़ित महिला एवं किशोरी को वित्तीय सहायता	लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता
2017	शून्य	3289992600	1496322600	326075400	183611700	6000		11590400	54400	47600		74533200
	खाता बंद है	67398400	11941400	3654000	843300			160800				832600
	खाता मौजूद नहीं है	3335200	1204800	224800	557800			38400				95600
	खाता निष्क्रिय है	19183400	5766200	1363800	1494500			52000				307400
	फ्रीज खाता	19589600	3485000	984200	472300			52200				129400
	अन्य	20459200	8799400	1970000	1195700			66600				603000
	सफल	18195141600	7973642200	1825952200	1090350400	85000		62683200	347200	273200		378837000
2018	शून्य	4679968700	2151726100	466318600	325006700	0		19904400	60400	94000		109603200
	खाता बंद है	100827800	18818600	5852400	1918400			294600				1250000
	खाता मौजूद नहीं है	21767000	6502400	1747600	3106300			216800		7200		552000
	खाता निष्क्रिय है	445400	149400	20800	26800			6000				3600
	फ्रीज खाता	40559600	7319600	1934000	1386200			117200				317800
	अन्य	16436400	4900800	1245000	1547700			153600				555600
	सफल	28848591000	12723433200	2934486000	2039661000	109000		125266200	571200	477200		642224200

मार्च 2017 से जुलाई 2020 तक अंतरित पेंशन राशि की योजना एवं वर्षवार स्थिति												
वर्ष	**प्रतिक्रिया प्रकार**	**वृद्धावस्था सम्मान भत्ता**	**विधवा पेंशन**	**दिव्यांग भत्ता**	**निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता**	**कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता**	**तेजाब हमले से पीड़ित पुरुष एवं किन्नर को वित्तीय सहायता**	**स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता**	**बौने को भत्ता**	**किन्नर को भत्ता**	**तेजाब हमले से पीड़ित महिला एवं किशोरी को वित्तीय सहायता**	**लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता**
2019	शून्य	5957530588	2714721199	596799500	458861700			29780800	76000	106000	130000	150754000
	खाता बंद है	104361400	19750000	6150000	2278100			333200				1204000
	खाता मौजूद नहीं है	19987000	5016000	1430000	2465100			221200				660000
	खाता निष्क्रिय है	614000	96000	36000	48400			18200				4000
	फ्रीज खाता	33060000	5708000	1344000	965800			47600				338000
	अन्य	20545000	5282000	1568000	1612600			193200				536000
	सफल	32344770874	14195045598	3318629000	2481648400	108000	9000	164208800	706000	632000	326000	772876000
2020	शून्य	4322379680	1950171125	430153875	365663700			24839100	85500	67500	144000	118911500
	खाता बंद है	74199375	14539500	4545000	2284200			206250				812250
	खाता मौजूद नहीं है	10991250	1770750	688500	1408050			44550				238500
	खाता निष्क्रिय है	540000	101250	33750	9450							
	फ्रीज खाता	23203125	6358500	1158750	1495800			42900				265500
	अन्य	14573375	3523500	873000	1534950			112200				315000
	सफल	22426686860	9605746625	2274210625	1848510450	63000	70875	126914700	501750	425250	241875	552622500
कुल		**120677138427**	**52941841747**	**12209448800**	**8819965500**	**371000**	**79875**	**567565100**	**2402450**	**2129950**	**841875**	**2809381850**
											कुल योग	**198031166574**

परिशिष्ट II

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2(ख); पृष्ठ 16)

लेन-देन हेतु लिया गया समय

पेंशन राशि के साथ लेन-देन की विलंब सीमा-वार संख्या			
वर्ष	**दिनों की देरी**	**लेन-देन की संख्या**	**पेंशन राशि**
2017	5-10	90,00,514	14,61,34,60,200
	11-30	18,92,978	3,00,99,83,300
	31-90	12,785	2,02,16,900
	91-365	5,887	92,76,700
	366-500	25	43,000
2018	5-10	1,14,11,576	20,87,27,84,100
	11-30	31,74,540	5,75,66,54,100
	31-90	24	42,500
	366-500	81,702	14,60,16,000
2019	5-10	1,04,39,900	20,75,33,00,068
	11-30	19,64,387	3,87,21,76,199
	31-90	3,542	69,68,800
	91-365	1,919	37,03,900
2020	5-10	37,59,780	8,43,16,77,344
	11-30	4,42,105	99,28,57,074
	31-90	11,560	2,58,49,650
	91-365	3,252	73,07,550
कुल योग		**4,22,06,476**	**78,52,23,17,385**

परिशिष्ट III

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 18)

लाभार्थियों के देरी से नामांकन के कारण अभिप्रेत लाभ प्रदान करने में विलंब

गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों के नामांकन में देरी की सीमा के विवरण					
	नामांकनों की वर्षवार संख्या में विलंब सीमा				
जिलों के नाम	**1-5**	**6-10**	**11-20**	**21-40**	**कुल**
फरीदाबाद	4,777	1,525	507	34	6,843
सोनीपत	4,801	1,289	242	15	6,347
करनाल	3,889	1102	307	25	5,323
हिसार	4,474	601	155	16	5,246
पलवल	3,850	856	204	17	4,927
यमुनानगर	3,627	824	207	25	4,683
जींद	3,550	641	187	12	4,390
कैथल	3,138	648	216	23	4,025
अंबाला	3,058	581	150	19	3,808
महेंद्रगढ़	3,096	494	70	5	3,665
पानीपत	2,834	597	164	20	3,615
कुरुक्षेत्र	2,881	530	122	11	3,544
सिरसा	2,919	481	107	13	3,520
फतेहाबाद	2,757	513	141	11	3,422
रेवाड़ी	2,418	326	49	12	2,805
रोहतक	2,046	419	90	11	2,566
भिवानी	2,055	325	66	9	2,455
झज्जर	1,671	294	64	19	2,048
गुरुग्राम	1,344	352	73	13	1,782
मेवात	1,080	296	69	4	1,449
चरखी दादरी	1,070	166	41	4	1,281
पंचकुला	652	109	57	5	823
कुल योग					**78,567**

परिशिष्ट IV

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.9; पृष्ठ 26)

एक ही आधार नंबर पर कई लाभार्थियों को पेंशन संवितरण

पेंशन का प्रकार	लाभार्थियों की संख्या	अंतरित राशि
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	16,917	10,89,93,600
विधवा पेंशन	6,766	4,32,88,000
दिव्यांगता पेंशन	1,451	94,67,200
कुल योग	**25,134**	**16,17,48,800**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in